विषयसूची

पेज संख्या

निदेशक बोर्ड

संदर्भ सूचना

पांच वर्ष के कार्य–निष्पादन पर एक नज़र

अध्यक्ष का वक्तव्य

वार्षिक आम बैठक की सूचना

निदेशकों की रिपोर्ट

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

लेखा–विवरण

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

लक्ष्य / भविष्य–निरूपण और उद्देश्य

लक्ष्य / भविष्य–निरूपण

टर्नकी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन में अग्रणी कंपनी के रूप में उभर कर सामने आना, परियोजनाओं को समय पर एवं गुणवत्तपूर्वक पूरा करने लिए समर्पित, अपने स्टेकहोल्डरों के महत्व एवं मूल्य में लगातार वृद्धि करना।

उद्देश्य

i) कारोबार के नए क्षेत्रों का विस्तार करते समय सर्वाधिक लाभकारी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और कारोबार को बनाए रखना।

ii) मूल्य सृजन पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए अद्वितीय ग्राहक सेवा प्रदान करना।

iii) गुणवत्ता और उपांत राशि (मार्जिन) पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालनात्मक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना।

निदेशक बोर्ड

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री ए. के. वर्मा
निदेशक (वित्त)

श्री वीनू गोपाल
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री नीरज कुमार
निदेशक, भारी उद्योग विभाग

डॉ. के. एस. राव
स्वतंत्र निदेशक

ऑपरेशन के प्रमुख क्षेत्र

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003
फोन नं. : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24363426
ईमेल : epico@epi.gov.in
वेबसाइट : www.epi.gov.in

क्षेत्रीय कार्यालय

पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय–कोलकाता
50, चौरिंघी रोड,
(8वां एवं 9वां तल)
कोलकाता–700 071
फोन : 91–33–22824426–27–29
फैक्स : 91–33–22824428
ईमेल : ero@epi.gov.in

पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय– मुम्बई
''बख्तावर'', 6ए, 6वां तल,
नरीमन प्वाइंट, मुम्बई–400 021
फोन : 91–22–22027585, 22026347
फैक्स : 91–22–22882177
ईमेल : wromumbai@epi.gov.in

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली
कोर–3, दूसरा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24368293
ईमेल : nro@epi.gov.in

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय–चेन्नई
3डी, ईस्ट कॉस्ट चैम्बर्स,
92, जी.एन. शेट्टी रोड,
टी. नगर, चेन्नई–600 017
फोन : 91–44–28156886, 28156421
फैक्स : 91–44–28156629
ईमेल : sro@epi.gov.in

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
वास्तव कॉम्प्लैक्स (पहला तल)
त्रिपुरा रोड, जया नगर,
बेल्तोला गुवाहाटी–781 028
फोन : 0361–2229982
फैक्स : 0361–2229983
ईमेल : nero@epi.gov.in

बैंक (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)

इलाहाबाद बैंक
बड़ोदा बैंक
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
कॉरपोरेशन बैंक
देना बैंक
आईडीबीआई बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
सिंडीकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

लेखापरीक्षक

मैसर्स सत्येन्द्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
डी–1, द्वितीय तल,
डिफेंस कॉलोनी
नई दिल्ली–110 024

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स आर. बी. जैन एण्ड एसोसिएट्स
108, श्याम कमल ''सी'' बिल्डिंग
अग्रवाल मार्केट, विले पार्ले
मुम्बई–400 057
महाराष्ट्र

मैसर्स जी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
7–ए किरन शंकर रे रोड, द्वितीय तल
कोलकाता–700 001
पश्चिम बंगाल

मैसर्स पद्मनाभन प्रकाश एण्ड कंपनी
5, स्मिथ रोड,
द्वितीय तल, उत्तरी विंग
चेन्नई–600 002
तमिलनाडु

ईपीआई के गत 5 वर्षों के निष्पादन पर एक नज़र

(₹ लाख में)

विवरण / वर्ष	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
क. परिचालन संबंधी सांख्यकीय					
टर्नओवर	85105.51	95870.53	106199.83	110368.72	90127.34
अन्य आय	2130.53	3079.91	2447.11	2490.07	3645.25
कुल आय (क)	87236.04	98950.44	108646.94	112858.79	93772.59
कुल व्यय (ख)	84866.95	96091.69	105606.30	110359.87	89416.13
सकल मार्जिन (क–ख)	2369.09	2858.75	3040.64	2498.92	4356.46
ब्याज	263.90	214.70	242.81	186.11	647.45
मूल्यह्रास	91.57	78.16	55.28	55.04	72.53
कर से पहले लाभ (पीबीटी)	2013.62	2565.89	2742.55	2257.77	3636.46
अनुशंगीय लाभ सहित आयकर	260.43	322.34	(1258.80)	752.70	1189.04
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)	1753.19	2243.55	4001.35	1505.07	2446.71
लाभांश	708.45	708.45	708.45	708.45	708.45
लाभांश कर	136.18	120.40	117.67	114.93	114.93
धन कर	0.08	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रोक कर रखा गया अधिशेष	908.48	1414.70	3175.23	681.69	1623.33
कर्मचारियों की संख्या	499	472	435	434	419
इक्विटी शेयरों की संख्या	9094400	9094400	9094400	35422688	35422688
ख. वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27	3542.27
रिजर्व एवं अधिशेष	7235.82	8650.52	11825.75	12507.44	14130.76
शेयरधारक की निधि	10778.09	12192.79	15368.02	16049.71	17673.03
बट्टे खाते में न डाले जाने वाली सीमा तक विविध व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल मूल्य	10778.09	12192.79	15368.02	16049.71	17673.03
ग. वित्तीय अनुपात					
सकल मार्जिन / टर्नओवर %	2.78	2.98	2.86	2.26	4.83
कर से पहले लाभ (पीबीटी) / टर्नओवर %	2.37	2.68	2.58	2.05	4.03
कर से पहले लाभ (पीबीटी) / निवल मूल्य %	18.68	21.04	17.85	14.07	20.58
कर के पश्चात् लाभ (पीएटी) / निवल मूल्य %	16.27	18.40	26.04	9.38	13.84
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (₹ लाख में) %	170.55	203.12	244.14	254.31	215.10
भुगतान किया गया लाभांश / कर पश्चात् लाभ %	40.41	31.58	17.71	47.07	28.96
भुगतान किया गया लाभांश / कर से पहले लाभ %	35.18	27.61	25.83	31.38	19.48
प्रति शेयर अर्जन (₹ में) %	19.28	24.67	44.00	4.25	6.91
प्रति शेयर होने वाली आय (₹ में) ₹ 38.95 के प्रत्येक शेयर का बही मूल्य (₹ में) और वित्त वर्ष 2010–11 के लिए ₹ 10 / –	118.51	134.07	168.98	45.31	49.89

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारक,

मैं ईपीआई के निदेशक बोर्ड की ओर से आप सभी का आपकी कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखे और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी के उत्तर सहित वार्षिक रिपोर्ट सभी शेयरधारकों को पहले ही परिचालित की जा चुकी है और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है और आप सभी की अनुमति से मैं उन्हें पढ़ लिया गया मान लूंगा।

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2011 के दौरान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट और मंदी झेलने के बाद वैश्विक संभावनाएं धीरे–धीरे फिर से सुदृढ हो रही हैं, परन्तु उनके नीचे जाने का जोखिम फिर भी बना हुआ है। वर्ष 2011 के उत्तरार्द्ध में संयुक्त राष्ट्रों में कार्यकलापों में सुधार और गंभीर आर्थिक संकट में इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर यूरो ज़ोन में बेहतर नीतियों के परिणाम स्वरूप वैश्विक मंदी में होने वाली तीव्र वृद्धि की चुनौती कम हो गई है। जब तक कि यूरो ज़ोन समस्या का कोई स्थाई हल नहीं निकल आता है, तब तक विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार सामान्यतः धीमा ही रहने की आशा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2011–12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को भी धीमी वृद्धि, उच्च मुद्रा स्फीति और राजकोषीय तथा चालू खाते में बढ़ा हुआ अंतराल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस दौरान अर्थव्यवस्था की गति पिछले नौ वर्ष में सबसे धीमी रही और खनन, विनिर्माण और निर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व मंदी व्याप्त रही। परन्तु 6.9% की धीमी वृद्धि दर के बावजूद भी हमारा देश पिछले कुछ वर्षों में उच्च वृद्धि दर हासिल करने के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहने में सफल रहा है।

अवसंरचना क्षेत्र

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अवसंरचना क्षेत्र का निष्पादन पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजना की तुलना में काफी बेहतर और उल्लेखनीय रहा, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में मंदी का प्रभाव फिर भी देखने को मिला। योजना के दौरान सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश संचित करने में मिली सफलता के परिणाम स्वरूप आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र द्वारा निधियन की दिशा में स्थाई कदम उठाने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ आधारशिला तैयार हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में भौतिक अवसंरचना के निर्माण में 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक का निवेश करने की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार के निवेश से भारी मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

निष्पादन संबंधी विशेषताएं

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने ₹ 901.27 करोड़ के लक्ष्य से गत वर्ष ₹ 24.99 करोड़ की तुलना में ₹ 43.57 करोड़ का सकल मार्जिन अर्जित किया है।

इसके अलावा आपकी कंपनी ने गत वर्ष ₹ 22.58 करोड़ की तुलना में ₹ 36.37 करोड़ का निवल कर पूर्व लाभ अर्जित किया है और इसके परिणाम स्वरूप प्रति शेयर बही मूल्य बढ़कर ₹ 49.89 हो गया है।

आपकी कंपनी ने ₹ 1017.21 करोड़ मूल्य की 12 परियोजनाओं के लिए आदेश प्राप्त किए हैं।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक बोर्ड ने वर्ष 2011–12 के लिए कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 20% के लाभांश की सिफारिश की है।

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निष्पादन

सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए आपकी कंपनी के निष्पादन को ''बहुत अच्छी'' रेटिंग प्रदान की गई है।

मानव संसाधन

परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनी अपनी जनशक्ति/कार्यबल के समेकन, सुदृढ़ीकरण आदि पर लगातार ध्यान केंद्रित करती रही है। वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने कुछ निश्चित स्तरों पर विशेषज्ञ कौशल वाले व्यक्तियों की भर्ती की है। इसके अलावा विशेष रूप से वरिष्ठ स्तरों पर सेवानिवृत्ति के परिणाम स्वरूप सृजित हुए अंतराल को समाप्त के लिए भर्ती अभियान की आवश्यकता है। जनशक्ति के सुदृढ़ीकरण के अलावा कंपनी अपने कर्मचारियों की अंतर्निहित क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करने के लिए भी प्रयास करती रही है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को तकनीकी कौशल, संप्रेषण और वैयिक्तिक कौशल बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर समय–समय पर आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का प्रायोजित किया जा रहा है।

निगमित शासन

आपकी कंपनी द्वारा अपने व्यापारिक दायित्वों के निर्वाह के दौरान नियमों, विनियमों के अनुपालन और पारदर्शिता तथा प्रकटन पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपकी कंपनी का मानना है कि निगमित शासन संबंधी इन नीतियों के परिणाम स्वरूप दीर्घकाल में अपने स्टेकहोल्डरों के लिए धन सृजित होगा। आपकी कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती रही है और नियमित आधार पर अपनी अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को प्रस्तुत करती रही है।

इसके अलावा वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के आस–पास जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और उन्मूलन करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिक्रियात्मक प्रबंधन की तुलना में अधिक सक्रिय प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, सहायता प्रदान करना और पूरे संगठन में निर्णय लेने की क्षमता में गुणात्मक सुधार करने के लिए जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उन्मूलन हेतु एक ढ़ांचा परिभाषित करना है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी द्वारा अपने व्यापारिक दायित्वों के निर्वाह के दौरान ईपीआई अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रति भी समान रूप से जागरूक रहा है। अकुशल युवावर्ग को निर्माण उद्योग संबंधी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया और परियोजनाओं के आस–पास के गांवों की बेसहारा और निर्वासित महिलाओं को कढ़ाई–बुनाई तथा सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। कौशल विकास कार्यक्रमों के अलावा सामुदायिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। बिहार के नालंदा जिले में साफ–सफाई, पेय–जल, सौर लाइटों, स्वास्थ्य संबंधी गठित तकनीकों पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरूआत की गई।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए ईपीआई को ''निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, 2012'' जैसे संभ्रांत पुरस्कार से सम्मानिक किया गया ।

भावी परिदृश्य

वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी अपने प्रचालनों को समेकित करने और बड़े आकार वाली तथा विदेशों में अवस्थित परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करती रही है। गत वर्ष के दौरान किए गए सकारात्मक प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपकी कंपनी केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची की ₹ 900 करोड़ लागत वाली पीएमसी कार्य विषयक एक परियोजना हासिल करने में सफल रही। इसके अलावा आपकी कंपनी विदेशों में भी परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए भी प्रयास कर रही है।

आभार प्रदर्शन/स्वीकारोक्ति

मेरा विश्वास है कि कंपनी की सफलता की कहानी इसके स्टेकहोल्डरों और सहयोगियों द्वारा दिए गए योगदान का परिणाम है। इस संदर्भ में मैं अपने स्टेकहोल्डरों, उपभोक्ताओं/ग्राहकों और भारत सराकार द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा मैं अपने लेखापरीक्षकों को भी उनके द्वारा दिए गए सृजनात्मक सुझावों और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं ईपीआई के सभी कर्मचारियों के उत्कृष्ट समर्पण और कठोर परिश्रम के विशेष रूप से प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और तहे दिल से उनकी प्रशंसा करता हूँ। जिनके अभिनव और सतत् प्रयासों के परिणामस्वरूप ही यह दिन देखने को मिला है।

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

सूचना

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. के सभी शेयरधारकों को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक 28 सितंबर, 2012 को अपराह्न 5.00 बजे इसके पंजीकृत और निगमित कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स (चौथी मंजिल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003 में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की जाने वाली हैः–

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी का लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ–साथ निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाया जाना।
2. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा।
3. डॉ. के. एस. राव, जो निदेशक के स्थान पर नियुक्त हुए थे। रोटेशन के आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और योग्य होने नाते, उन्हें पुनर्नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दिया जा रहा है।

विशेष कारोबार

1. निदेशक की नियुक्ति

   कुछ संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा के बिना निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार करना और उपयुक्त समझे जाने पर उसे पारित करनाः

   ''यह संकल्प लिया गया कि श्री वीनू गोपाल, जिन्हें निदेशक बोर्ड द्वारा 02.01.2012 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक उपर्युक्त अनुच्छेद के अंतर्गत अपने पद पर बने हुए थे और जो कंपनी अधिकनयम, 1956 के संगत उपबंधों के अंतर्गत पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र हैं और जिनके संबंध में कंपनी ने निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव से संबंधित लिखित में एक नोटिस प्राप्त किया है, को एतद् द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।''

कुमुदनी शर्मा

(कुमुदनी शर्मा)
कंपनी सचिव

टिप्पणीः

1. बैठक में भाग लेने और अपना मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को बैठक में भाग लेने और मत व्यक्त करने के लिए नियुक्त कर सकता है और इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले संबंधित व्यक्ति को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. दो प्रतियों में नामांकन पत्र कंपनी के सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे इसकी एक प्रति विधिवत भरकर लौटाएंगे।

3. श्री वीनू गोपाल को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के आदेश सं. 16(9)2011–टीएसडब्ल्यू, दिनांक 21.12.2011 के अंतर्गत कंपनी के बोर्ड में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना प्रभार दिनांक 02.01.2012 को ग्रहण किया।

4. श्री आर. असोकन, निदेशक, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) का नेशनल फर्मास्युटिकल प्राईसिंग अथॉरिटी (फर्मास्युटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) में कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में स्थानांतरण होने के कारण उनका कार्यकाल कंपनी सचिव, ईपीआई को संबोधित उनके दिनांक 14.06.2012 को दिए गए पत्र के तहत दी गई सूचना के आधार पर पूर्ण हो गया।

नोटिस के एक भाग के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 (2) के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण

आइटम संख्या 1–निदेशक की नियुक्ति

श्री वीनू गोपाल एक सिविल इंजीनियर हैं, जिन्हें भारत और विदेश दोनों में बहु–आयामी परियोजनाएं पूरी करने का सुदीर्घ अनुभव है। उन्हें भारत सरकार द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक (परियोजनाएं) नियुक्त किए जाने के परिणाम स्वरूप दिनांक 02.01.2012 से कंपनी के निदेशक बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 68 के अनुसार वह आगामी वार्षिक आम बैठक तक अतिरिक्त निदेशक के पद पर बने रहेंगे और वह पुर्ननियुक्ति के लिए पात्र हैं। उन्होने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी उम्मीदवारी का प्रस्ताव दिया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के अंतर्गत यथावश्यक निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी के प्रस्ताव विषयक एक नोटिस प्राप्त हुआ है।

बोर्ड श्री वीनू गोपाल की नियुक्ति की सिफारिश करता है।

श्री वीनू गोपाल को छोड़कर कोई भी निदेशक उपर्युक्त संकल्प से किसी भी प्रकार संबंधित/इच्छुक नहीं है।

सेवा में

ईपीआई के सभी शेयरधारक

प्रतिलिपिः

1. ईपीआई के सभी निदेशक
2. सचिव, भारत सरकार,
   भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग),
   उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 001
3. मैसर्स सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स,
   डी–1, द्वितीय तल
   डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110 024

कुमुदनी शर्मा

(कुमुदनी शर्मा)
कंपनी सचिव

तारीखः 19.09.2012
स्थानः नई दिल्ली

नामांकन फॉर्म

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.,
कोर–3, स्कोप कॉम्प्लैक्स
7 लोधी रोड,
नई दिल्ली–110 003

प्रिय श्रीमान/श्रीमती

मैं एतद् द्वारा श्री .....

(नाम)

.....

(पद नाम)

को दिनांक 28 सितम्बर, 2012 को आयोजित होने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 42वीं वार्षिक आम बैठक (और इस बैठक के स्थगन के परिणामस्वरूप आगे आयोजित की जाने वाली किसी अन्य बैठक) में उपस्थित होने के लिए अपने नामिती के रूप में नामित करता/करती हूँ।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षर
नाम एवं पदनामः

स्थान :
तारीख :

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्य गण,

निदेशकों को कंपनी के निष्पादन पर 42वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के लेखाओं पर दी गई टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी ने गत वर्ष ₹ 110,369 लाख़ की तुलना में ₹ 90,127 लाख का टर्नओवर हासिल किया है। कंपनी ने गत वर्ष में ₹ 2499 लाख की तुलना में इस वर्ष ₹ 4356 लाख की सकल अतिरिक्त राशि (मार्जिन) अर्जित की है और गत वर्ष में ₹ 2258 लाख के पीबीटी की तुलना में इस वर्ष ₹ 3636 लाख का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया है, जो गत वर्ष की तुलना में 61% अधिक है। वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान आपकी कंपनी के वित्तीय परिणामों के साथ–साथ गत वर्ष के संगत आंकडे निम्नानुसार हैं :

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2011–12	2010–11
1.	टर्नओवर	90,127	110,369
2.	अन्य आय	3645	2490
3.	कुल आय	93,772	112,859
4	सकल अतिरिक्त राशि (ग्रास मार्जिन)	4356	2499
5.	भुगतान किया गया ब्याज	647	186
6.	मूल्यह्रास	73	55
7.	कर से पहले लाभ	3636	2258
8.	कर	1197	753
9	कर पश्चात् लाभ	2447	1505
10	निवल मूल्य	17,673	16,050

2. पूंजीगत अवसंरचना

कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त शेयर पूंजी क्रमशः ₹ 909.40 करोड़ और ₹ 35.42 करोड़ बनी रही। कंपनी ने शेयरों को डिमटेरियालाइज करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज–डिपोजीटरी लि. (एनएसडीएल) के साथ एक करार किया है और शेयरहोल्डरों को अपनी शेयरधारिता को डिमटेरियालाइज करने का विकल्प दिया गया।

3. लाभांश और आरक्षित निधि (रिजर्व)

आपके निदेशकों ने वर्ष 2011–12 के लिए कंपनी की प्रदत्त पूंजी पर 20% के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश का भुगतान कंपनी की वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् किया जाएगा। वर्ष 2011–12 के लिए लाभांश और लाभांश कर पर होने वाला कुल व्यय क्रमशः ₹ 708 लाख और ₹ 115 लाख होगा।

आपके निदेशकगण ₹ 200 लाख की राशि कंपनी की सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करते हैं तथा शेष लाभांश को आगे ले जाया जाएगा। तद्नुसार 31 मार्च, 2012 को कंपनी के ''आरक्षित और अधिशेष'' लेखे में ₹ 14,124 लाख की राशि उपलब्ध होगी।

4. विपणन संबंधी उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने ₹ 1017.21 करोड़ मूल्य की 12 परियोजनाएं प्राप्त की हैं। प्राप्त की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजानाएं नीचे दी गई हैं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, जिला नालंदा (बिहार) का निर्माण कार्य	बिहार पुलिस बिल्डिंग निर्माण निगम, (बिहार सरकार का उपक्रम), पटना	181.16
2.	मल्लावरम् आंध्र प्रदेश में जीएसपीसीएल के ऑनशोर गैस टर्मिनल (2 पैकेज) और ऑफसाइट (भाग–ख) के लिए रॉ वाटर पाइपलाइन का कार्य, सिविल और ढ़ांचागत कार्य	इंजीनियर्स इंडिया लि., नई दिल्ली	149.83
3.	जेएनएनयूआरएम (बीएसयूपी) (2 पैकेज) के अंतर्गत चेन्नई में पेरूमबक्कम् चरण–।। में 2418 आवासों का निर्माण	तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड, चेन्नई	117.97
4.	नेश्नल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (चरण–।।), कालीकट के लिए मेगा हॉस्टल का निर्माण	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, कन्नूर सेंट्रल डिवीज़न, पैय्यानूर	99.61
5.	नासिक (2 पैकेज) स्थित फैक्टरी में मेन ओवरहॉल हैंगर के लिए प्री – इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी), यूटीलिटी बिल्डिंग और संबद्ध सुविधाओं के निर्माण हेतु सिविल, इलेक्ट्रिकल और अन्य यूटीलिटी सेवाएं	हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लि. एअरक्रॉफ्ट डिविज़न, नासिक	92.45
6.	शोलिंगानल्लौर (चरण –। एवं ।।) मोग्गापेर पूर्व, चेन्नई में एचआईजी, एमआईजी और एलआईजी फ्लैटों का निर्माण और अन्य संबद्ध कार्य	तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड, चेन्नई	52.39
7.	गुलमा और गढ़वा, झारखंड में पॉलीटेक्नीक इंस्टीट्यूट का निर्माण	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, झारखंड साकार, रांची	35.14

5. आदेश पुस्तक की स्थिति

चालू वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान जुलाई, 2012 तक आपकी कंपनी ने ₹ 63.34 करोड़ मूल्य के आदेश प्राप्त किए हैं।

6. समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत निष्पादन रेटिंग

भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत आपकी कंपनी के निष्पादन को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए ''बहुत अच्छी'' रेटिंग प्रदान की गई है।

7. निगमित सुशासन

ईपीआई कानूनी, सैद्धांतिक और पारदर्शी ढ़ंग से अपने कारोबार के संचालन हेतु सुदृढ़ निगमित सुशासन व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी इस सिद्धान्त पर विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगमित सुशासन प्रक्रियाएं अपने सभी स्टेकहोल्डरों के लिए धन सृजित करने में सहायक होती हैं। कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित सुशासन व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती रही है और भारी उद्योग विभाग को तिमाही आधार पर नियमित रूप से अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती रही है। निगमित सुशासन व्यवस्था संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन विषयक एक रिपोर्ट और प्रबंधन के साथ की गई चर्चा पर आधारित एक विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है।

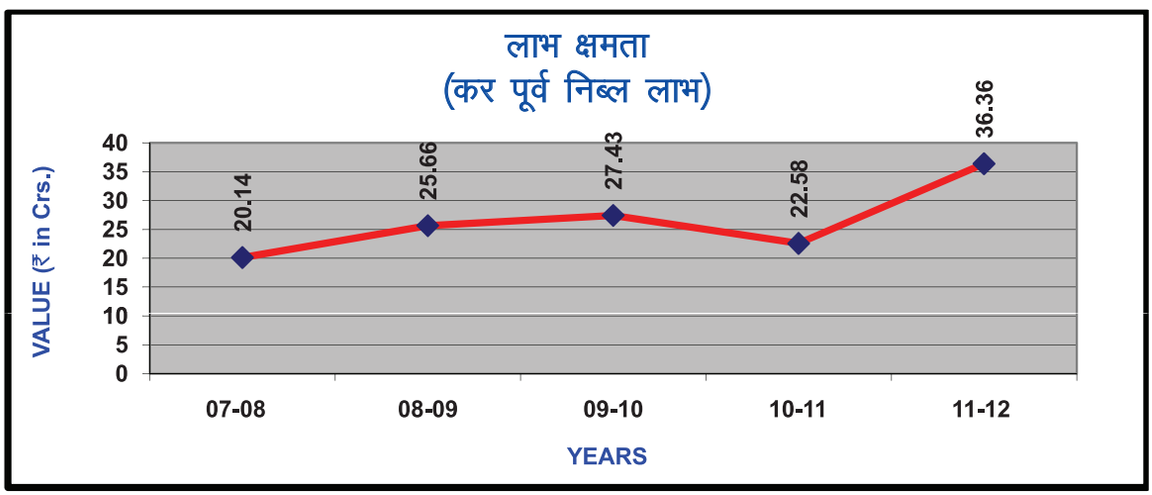

8. क्रेडिट रेटिंग

अपेक्षित विचार – विमर्श के पश्चात् आईसीआरए की रेटिंग समिति ने कंपनी को आईसीआरए की दीर्घकालीन रेटिंग ''ए प्लस'' और अल्पकालीन रेटिंग ''ए1 प्लस'' के रूप में प्रदान की है।

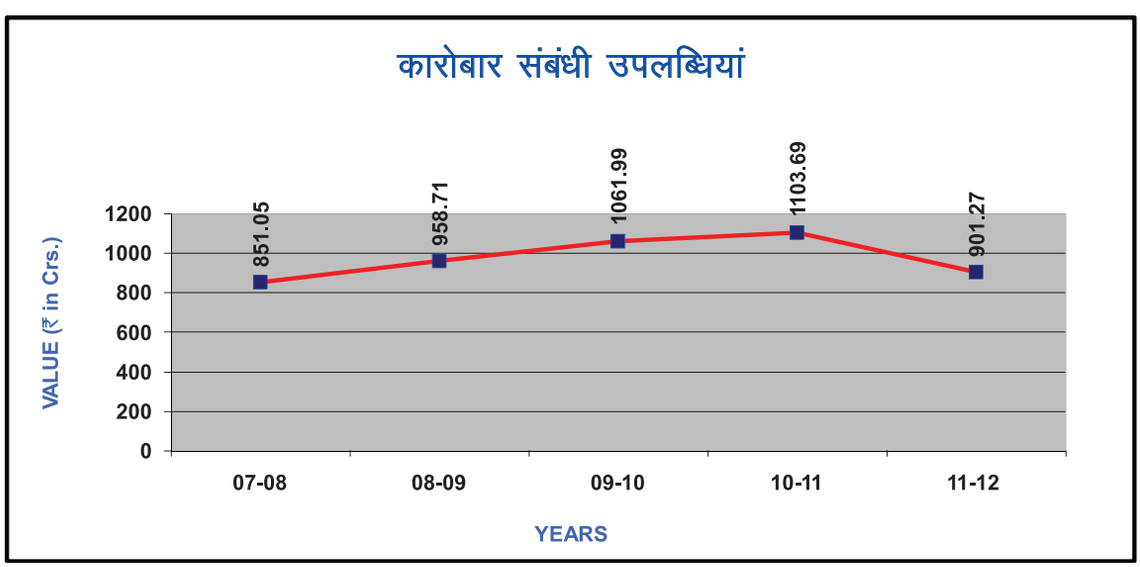

9. सर्तकता संबंधी कार्यकलाप

कंपनी की सकर्तकता विंग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो संगठन के कार्यकलापों का पारदर्शी ढ़ंग से संचालन सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। आवधिक निरीक्षण के माध्यम से और अग्रिम रुप से सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए संरक्षी सतर्कता संबंधी एहतियात बरते जाते हैं और पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्ट प्रक्रियाओं को कम करने के लिए भी सिफारिशें की गई हैं।

संदर्भाधीन अवधि के दौरान प्रचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत से कदम उठाए गए। इसके अलावा अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगमित/क्षेत्रीय/साइट कार्यालयों में तकनीकी जांच की गई। सत्यनिष्ठा समझौता, धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति, व्हिसिल ब्लोअर नीति को सही संदर्भ में कार्यान्वित किया गया है।

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के निगमित/क्षेत्रीय/साइट कार्यालयों में 31.10.2011 से 05.11.2011 के दौरान ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' का पूरे जोशोखरोश के साथ आयोजन किया गया।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधनों के विकास के महत्व को बखूबी समझती है। परियोजना कार्यान्वयन, जो कंपनी का मुख्य कारोबार है, के क्षेत्र में नई उभरती हुई परम्पराओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से कंपनी अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों का प्रशिक्षण प्रदान करती है। कार्मिकों को समय–समय पर इन – हाउस और बाह्य प्रशिक्षण, सेमिनार और कार्यशालाओं के लिए प्रायोजित किया जाता है जिससे कि वे विभिन्न स्तरों पर अपना तकनीकी, संचार और कार्मिक कौशल बढ़ा सकें। इसके अलावा अपनी वर्तमान जनशक्ति को कंपनी में बनाए रखने के लिए भी हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

31 मार्च, 2012 को कंपनी के पास 419 कर्मचारियों का सशक्त कार्यबल मौजूद है।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कार्मिक

31 मार्च, 2012 को कंपनी की नामावली में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या 93 दर्ज की गई थी, जो कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या (स्ट्रेंथ) के 22.19% के बराबर है।

12. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (अधिकारी/कर्मचारी)

31 मार्च, 2012 को कंपनी की नामावली में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 9 दर्ज की गई थी, जो कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या (स्ट्रेंथ) के 2.14% के बराबर है।

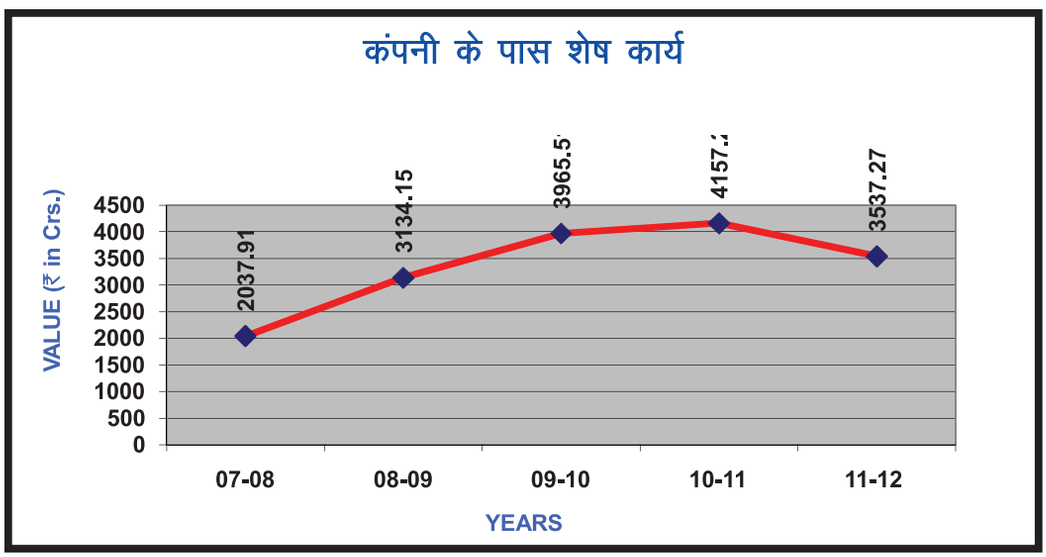

13. राजभाषा हिंदी का प्रचार–प्रसार

ईपीआई के कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी सभी सरकारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। कंपनी में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां ईपीआई में राजभाषा के प्रचार–प्रसार के लिए सभी निर्णय लिए जाते हैं। हिंदी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को बहुत से पुरस्कार दिए जाते हैं जिनमें आर्थिक लाभ भी शामिल हैं।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ईपीआई ने काफी गंभीर प्रयास किए हैं। हिंदी भाषा की प्रगति और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 01 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। पखवाड़ा के दौरान राजभाषा प्रभाग कार्यालय के समस्त कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लोगों के लिए बहुत सी प्रतियोगिताएं आयोजित करता है, जिसमें लेखन, कविता पाठ चित्र अभिव्यक्ति, डिक्टेशन, नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हस्ताक्षर, वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी (क्विज), आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

14. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

सरकारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011–12 के दौरान इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. में किए जाने वाले प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता का लक्ष्य हासिल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए।

15. निदेशक बोर्ड

वर्तमान में कंपनी के निदेशक बोर्ड में पांच (5) सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित तीन प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) निदेशक, प्रशासनिक मंत्रालय से एक अंशकालिक सरकारी निदेशक और एक अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक शामिल हैं। पिछली वार्षिक आम बैठक की तारीख से कंपनी के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :–

श्री वीनू गोपाल को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) के आदेश सं. 16(9) 2011–टीएसडब्ल्यू, दिनांक 21.12.2011 के अंतर्गत कंपनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अपना पद भार दिनांक 02.01.2012 को ग्रहण किया।

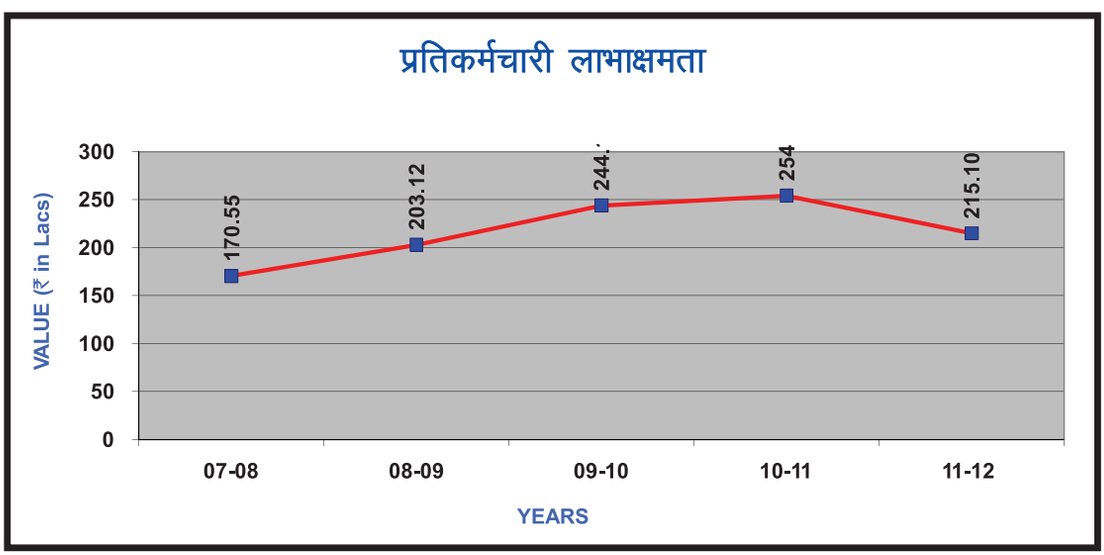

श्री आर. असोकन ने नेशनल फार्मास्युटिकल प्राईसिंग अथॉरिटी (फार्मास्युटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय) में स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप कंपनी सचिव, ईपीआई को संबोधित पत्र के जरिए दिनांक 14.06.2012 से ईपीआई के निदेशक बोर्ड में निदेशक के पद से त्याग पत्र दे दिया है।

16. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2कक) के अंतर्गत यथा आवश्यक आपके निदेशक एतद् द्वारा यह सुनिश्चित करते हैं कि:

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में सामग्री के प्रेषण से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया और निर्णय तथा आकंलन किया कि क्या वे औचित्यपूर्ण एवं विवेकपूर्ण हैं जिससे कि 31 मार्च, 2011 को कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सही और स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में लेखाकरण रिकार्ड सुरक्षित रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; और

(iv) वार्षिक लेखे काम चलाऊ आधार पर तैयार किए गए हैं।

17. लेखापरीक्षक

वित्त वर्ष, 2011–12 के लिए कंपनी के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय के लिए मैसर्स सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट को सांविधिक लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। मैसर्स जी.पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी, मैसर्स आर. बी. जैन एण्ड एसोसिएट्स तथा मैसर्स पद्मनाभन प्रकाश और कंपनी को क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न की गई हैं। 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के शुद्धिपत्र में दी गई हैं।

18. विवरणों का प्रकटन

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ड.) के प्रावधानों जिन्हें कंपनी (निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के साथ पढ़ा गया है, के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय से होने वाली आय और बहिर्गमन से संबंधित सूचना एवं विवरण नीचे दिए गए हैं

18.01 ऊर्जा दक्षता और इसका संरक्षण

कंपनी के कार्यकलापों में निर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं और इनमें ऊर्जा का कोई प्रत्यक्ष प्रयोग शामिल नहीं है। ईपीआई अपने कार्यालय परिसरों और इसे कार्यान्वयन के लिए सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं में ऊर्जा की दृष्टि से सक्षम उपकरणों के सदुपयोग पर ज़ोर देता रहा है ताकि पारिस्थिति की और पर्यावरण पर इनका कम से कम प्रभाव पड़े।

ऊर्जा की बचत के लिए किए गए उपाय :

(i) उपकरणों के अनावश्यक प्रयोग को रोकना अथवा उससे बचना;

(ii) आवश्यक न होने पर लाइटों को बंद करना;

(iii) अदक्ष और उच्च दक्षता वाले उपकरणों के स्थान पर दक्ष और कम क्षमता वाले उपकरण लगाना;

(iii) विद्युत की खपत को कम करने के लिए उपकरणों की आउटपुट दरों में सुधार करना।

18.02 प्रौद्योगिकी आमेलन

क) अनुसंधान एवं विकास

कंपनी के अनुसंधान और विकास पहलों में कंवेयर साइज़िंग केल्कुलेशन, सिविल लागत और अनुमान तथा स्ट्रड जैसे सॉफ्टवेयरों का विकास शामिल हैं। कंवेयर साइज़िंग केल्कुलेशन सॉफ्टवेयर कंवेयर लोड आवश्यकता के आधार पर कंवेयर विशेषताओं से युक्त डेटा तैयार करता है। सिविल लागत और अनुमान सॉफ्टवेयर सिविल आइटमों जैसे आरसीसी, पीसीसी आदि के लिए आधारभूत दर तैयार करता है और स्ट्रड स्टील के ढांचे वाली बिल्डिंगों की डिजाइन तैयार करने और मात्रा के बिल का अनुमान लगाने में सहायता करता है। सॉफ्टवेयरों के विकास के अलावा कार्यों की गुणवत्ता के सुधार और निर्माण की दक्षता बढ़ाने की दिशा में भी संकेंद्रित प्रयास किए गए। इसके लिए स्थल लेखांकन, सामान्य पर्यवेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, कारपेंटरी, बार–बेंडिंग जैसे निर्माण उद्योगों से जुडी ट्रेडों में कौशल विकास के लिए कार्यक्रमों का प्रायोजन किया गया।

ख) प्रौद्योगिकी आमेलन

प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए। इसके अलावा प्री – इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी) की संकल्पना को ईपीआई द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में लागू किया गया।

इसके अलावा ईपीआई में अपनी इन हाउस डिजाइनिंग सुविधाएं और विस्तृत ड्राइंगें हैं।

18.03 विदेशी विनियम से होने वाली आय तथा बहिर्गमन (आउटगो)

वर्ष 2011–12 के दौरान विदेश यात्रा व्यय के रूप में विदेशी विनिमय से होने वाला बहिर्गमन ₹ 7.06 लाख है और विदेशी विनिमय से कोई आय नहीं हुई है।

19. धारा 217 (2क) के अंतर्गत यथा आवश्यक कर्मचारियों के संबंध में सांविधिक सूचना

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी कर्मचारियों को ₹ 5,00,000 प्रतिमाह अथवा ₹ 60,00,000 प्रति वर्ष से अधिक का मेहताना नहीं दिया गया।

20. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में आपकी कंपनी परियोजना स्थल के आस–पास रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आपसी विश्वास और एक – दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए एक सकारात्मक और दूरगामी सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है .

''व्यापक स्तर पर समाज के हितों के लिए कार्य करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा सकारात्मक और सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदार निगमित निकाय के रूप में ईपीआई की छवि निर्मित करना''

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए कर पश्चात् लाभ की 3 राशि आवंटित की है और निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए हैं :

(i) द्वारका (दिल्ली) और जोका (कोलकाता) में परियोजना स्थलों के आस–पास रहने वाले बेरोजगार युवा लोगों के लिए मैशनरी, कारपेंटरी, बार–बेंडिंग, सामान्य पर्यवेक्षकीय कार्य आदि जैसी विभिन्न ट्रेड़ो में कौशल विकास कार्यक्रम। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को मैसर्स शापूरजी पल्लोनजी एण्ड कंपनी, मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, मैसर्स सिम्प्लेक्स इनफ्रॉस्ट्रक्चर, मैसर्स रोज़ वेली कंपनी, मैसर्स बी. एल. कश्यप कंपनी, मैसर्स जी. डी. कंस्ट्रक्शन, मैसर्स आर. डी. एस. परियोजनाएं आदि जैसी कंपनियों में रोजगार मुहैय्या कराया गया है।

(ii) ''झांसी (उत्तर प्रदेश) की वंचित, दीन–हीन और निराश्रित महिलाओं के लिए टेलरिंग, कटिंग और वस्त्र डिजाइनिंग में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम''।

(iii) बिहार के नालंदा जिले में की गई सामुदायिक विकास परियोजना में कौशल विकास, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, स्ट्रीट लाईटिंग, स्वच्छ पेयजल और साफ–सफाई यह कार्यक्रम बिहार के नालंदा जिले के राजगीर स्थित 20 गांवों में चलाया जा रहा है।

सीएसआर के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए ईपीआई को उभरते हुए क्षेत्र में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के लिए ''गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, 2012'' से नवाजा गया।

21. स्थाई विकास (एसडी)

ईपीआई आर्थिक गतिविधि, सामाजिक प्रगति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी के लिए संतुलित पहल बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। वर्ष के दौरान ईपीआई ने जल संचयन समाधान, सौर स्ट्रीट लाईटिंग, और कंपनी की परियोजनाओं के आस–पास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण जैसे कार्यकलाप किए हैं। सतत् और स्थाई विकास संबंधी प्रयासों की स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बड़े स्तर की समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

22. स्वीकारोक्ति

आपके निदेशक, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और भारत सरकार के तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों व संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए तहेदिल से उनका धन्यवाद करते हैं। आपके निदेशक अपने विभिन्न ग्राहकों तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों का उनके द्वारा कंपनी के प्रति दर्शाए गए विश्वास के लिए आभार प्रकट करते हैं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े उप–संविदाकारों, विक्रेताओं (वेण्डरों) और परामर्शदाताओं की उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भूरि–भूरि प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशक ईपीआई के कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग और उनके समर्पण एवं प्रतिबद्धता तथा महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए उनकी तहेदिल से तारीफ करते हैं और उन्हें विश्वास है कि भविष्य में भी बेहतर निष्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देते रहेंगे।

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02548430

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 13.09.2012

निगमित शासन से संबंधित रिपोर्ट

1. निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन (नीति)

कंपनी के लक्ष्य/भविष्य–निरूपण संबंधी विवरण में स्टेकहोल्डरों के महत्व को बढ़ाना शामिल है और कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि केवल अच्छी निगमित शासन व्यवस्था से ही कंपनी के सभी स्टेकहोल्डरों का स्थाई आधार पर महत्व बनाए रखा जा सकता है। निगमित सुशासन व्यवस्था का प्राथमिक सरोकार पारदर्शिता, वास्तविक तथ्यों का पूरी तरह प्रकटन, निदेशक बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी स्टेकहोल्डरों की सही और निष्पक्ष भूमिका से होता है। कंपनी संपूर्ण रूप से अपने सभी सदस्यों, ऋणदाताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों का विश्वास और सम्मान प्राप्त करने के लिए इन बातों का अनुपालन सुनिश्चित करने और इन पहलुओं में निरंतर सुधारे करने के लिए प्रयास करेगी। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. की निगमित शासन व्यवस्था संबंधी दर्शन निम्नानुसार है:

''व्यवसायवाद को लागू करना और कपंनी के सभी स्टेकहोल्डरों का महत्व बढ़ाने के उद्देश्य से प्रभावी, प्रतिसंवेदी और पारदर्शी बने रहना।''

2. निदेशक बोर्ड

(क) निदेशक बोर्ड का स्वरूप

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (ईपीआई) में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन कंपनी के संगम अनुच्छेद (एओए) के अनुच्छेद 68 के अनुक्रम में भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ईपीआई के बोर्ड में आठ सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से तीन प्रकार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित), दो भारत सरकार द्वारा नामित किए गए नामिती निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः प्रबंधन, इंजीनियरिंग और अर्थव्यवस्था तथा लेखा विभाग आदि क्षेत्रों से की जाती है।

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार ईपीआई के बोर्ड में छः सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित तीन पूर्णकालिक निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक, जो भारत सरकार द्वारा नामित किए गए नामिती निदेशक हैं और एक स्वतंत्र निदेशक हैं। स्वतंत्र निदेशकों के दो पद रिक्त हैं। भारत सरकार कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 68 की शर्तों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

(ख) बोर्ड प्रक्रिया

निदेशक बोर्ड सुशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने और कंपनी के संचालन में प्राथमिक भूमिका अदा करता है। निदेशक बोर्ड की बैठकें प्रायः कंपनी के नई दिल्ली में स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड कंपनी की वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए नियमित अंतराल पर अपनी बैठकें आयोजित करता है। बैठक के लिए कार्यसूची की मदें संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उन्हें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित प्रकार्यात्मक निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। विधिवत रूप से अनुमोदित नोट सभी निदेशकों को अग्रिम अधार पर परिचालित किए जाते हैं। जब कभी कार्यसूची दस्तावेजों के भाग के रूप में संगत सूचना भेजना व्यवहार्य नहीं होता है, तो ऐसी सूचना बैठक के दौरान सभा पटल पर रखी जाती है।

निदेशक बोर्ड लागू विधियों के अनुपालन की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। सभी निर्णय बोर्ड की बैठकों में विस्तृत विचार–विमर्श के बाद लिए जाते हैं।

(ग) निदेशक बोर्ड की बैठकों की संख्या

वित वर्ष 2011–12 के दौरान निदेशक बोर्ड की चार (4) बैठकें आयोजित की गई, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र. सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड के सदस्यों की संख्या	बोर्ड की उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	27.06.2011*	6	4
2	06.09.2011*	5	5
3	24.10.2011	5	5
4	19.01.2012	6	6
5	28.03.2012	6	6

* सरकारी निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण बैठक सिथगित कर दी गई और फिर 06 सितंबर, 2011 को आयोजित की गई।

(घ) निदेशक बोर्ड का स्वरूप, उनके कार्यकाल, निदेशकों के वर्ग/श्रेणी, वर्ष 2011–12 के दौरान हुई बोर्ड की बैठकों और आम सभाओं में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों के निदेशक के पदों पर कार्य करने आदि से संबंधित विवरण नीचे दिए गए हैं:–

नाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या	वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों के निदेशक के तौर पर कार्य करना	अवधि
(क) प्रकार्यात्मक निदेशक				
श्री एस पी एस बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक डी.आई.एन. : 02548430	4/4	हाँ	कुछ नहीं	05.02.09 से 04.02.14
श्री ए.के. रतवानी निदेशक (परियोजनाएं) डी.आई.एन. : 00730349	1/1	लागू नहीं	कुछ नहीं	01.09.06 से 31.08.11
श्री ए.के. वर्मा निदेशक (वित्त) डी.आई.एन. : 03428630	4/4	हाँ	कुछ नहीं	01.02.11 से 31.01.16
श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) डी.आई.एन. : 05173442	2/2	लागू नहीं	कुछ नहीं	02.01.12 से 01.01.17
(ख) सरकारी नामिती				
श्री हरभजन सिंह संयुक्त सचिव, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, डी.आई.एन. : 02922092	0/1	लागू नहीं	8	08.01.10 से 17.08.2011
श्री आर. असोकन निदेशक, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, डी.आई.एन. :01079166	4/4	हाँ	4*	01.02.08 – से अगले आदेश तक

नाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या	वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों के निदेशक के तौर पर कार्य करना	अवधि
श्री नीरज कुमार निदेशक, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, डी.आई.एन. : 03622825	4/4	हाँ	कुछ नहीं	17.08.2011 – से आगामी आदेश तक
(ग) स्वतंत्र निदेशक				
डॉ. के.एस. राव डी.आई.एन. :03383447	4/4	हाँ	कुछ नहीं	16.12.10 से 15.12.13

* श्री आर. असोकन ने भारत भारी उद्योग निगम से दिनांक 22.08.11 को निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया।

वर्ष 2011–12 के दौरान निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

1. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 17.08.2011 के आदेश संख्या 16(12)/2001–टीएसडब्ल्यू के अनुक्रम में श्री हरभजन सिंह, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का कंपनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा हो गया।
2. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 17.08.2011 के आदेश संख्या 16(12)/2001–टीएसडब्ल्यू के अनुक्रम में श्री नीरज कुमार, निदेशक, भारी उद्योग विभाग को कंपनी के निदेशक बोर्ड में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
3. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 11.08.2006 के आदेश संख्या 16(15)/2005–टीएसडब्ल्यू के अनुक्रम में श्री ए. के. रतवानी का कंपनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक के रूप में 31.08.2011 को कार्यकाल पूरा हो गया।
4. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 21.12.2011 के आदेश संख्या 16(9)/2011–टीएसडब्ल्यू के अनुक्रम में श्री वीनू गोपाल, को कंपनी के निदेशक बोर्ड में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दिनांक 02.01.2012 को अपना पदभार ग्रहण किया।

(ङ) कंपनी के बोर्ड में वर्तमान निदेशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त

(i) **श्री एस पी एस बक्शी (53 वर्ष)** श्री एस पी एस बक्शी ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का कार्यभार फरवरी, 2009 में ग्रहण किया। श्री बक्शी ने राजमार्ग एवं परिवहन इंजीनियरिंग में परा स्नातक और मानव संसाधन विकास में एमबीए की डिग्री प्राप्त की है। वे इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) के फैलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स, यूएसए के एक सदस्य हैं। श्री बक्शी के पास टर्नकी आधार पर बड़ी बिल्डिंगों और हवाई अड्डों तथा राजमार्ग परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में परियोजना की आयोजना तैयार करने और उसके प्रबंधन का 30 वर्ष का सम्मृद्ध और व्यापक अनुभव प्राप्त है। श्री बक्शी ने इन बड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि एवं लागत में पूरा किया। उन्होंने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी आधार पर भी कुछ परियोजनाओं पर काम किया है। श्री एस पी एस बक्शी ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) में सेवाएं शुरू करने से पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में उच्च पदों पर कार्य किया है। उन्होंने एयरपोर्ट और राजमार्ग से जुड़ी राष्ट्रीय महत्व की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में भी काम किया है।

(ii) **श्री ए.के. वर्मा (52 वर्श)** श्री ए.के. वर्मा ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. में निदेशक (वित्त) के रूप में अपना पदभार दिनांक 1 फरवरी, 2011 को ग्रहण किया। उन्हें वित्त, लेखा और लेखांकन के क्षेत्र में 30 वर्ष का सुदीर्घ अनुभव प्राप्त है। उनकी शैक्षणिक योग्यता एम.कॉम, एमबीए, एलएलबी है और वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के भी फैलो सदस्य हैं। श्री वर्मा भारत और विदेश में बहुत से कार्यों अर्थात् रेलवे, राजमार्ग, भवन निर्माण परियोजनाओं में टर्नकी, आइटम दर, लागत/जमा कार्य आधार पर संबद्ध रहे हैं। श्री वर्मा को बीओटी/वार्षिकी (एन्यूटी)/छूट प्राप्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय मॉडलिंग सहित नकदी परियोजनाओं के लागत निर्धारण, परियोजना वित्त पोषण, निर्माण से जुड़ी कंपनियों के लिए लेखाओं को अंतिम रूप प्रदान करने, बजट और बजटीय नियंत्रण, विदेशी मुद्रा की प्रतिरक्षा (हैजिंग) और प्रति मुद्रा जोखिम जैसे क्षेत्रों का सुदीर्घ एवं समेकित अनुभव प्राप्त है। ईपीआई में अपना पदभार ग्रहण करने से पहले श्री वर्मा ने इरकॉन इंटरनेशनल लि. और सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य विभिन्न कंपनियों में कार्य किया है।

(iii) **श्री वीनू गोपाल (53 वर्ष)** श्री वीनू गोपाल ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में अपना पदभार दिनांक 2 जनवरी, 2012 को ग्रहण किया। वे एक सिविल इंजीनियर हैं, उन्हें लागत प्राक्लन, निविदा प्रक्रिया, व्यापार विकास, संविदा प्रबंधन, रेलवे, राजमार्ग, सेतु और भवन जैसे क्षेत्रों में आयोजना और परियोजना निष्पादन का 30 वर्ष से अधिक अवधि का अनुभव प्राप्त है। श्री गोपाल ने भारत और विदेशों में बहु–अनुशासनिक परियोजनाएं पूरी की हैं, जिनमें सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली परियोजनाएं भी शामिल हैं। ईपीआई में आने से पहले श्री गोपाल ने इरकॉन इंटरनेशनल और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में भी कार्य किया है।

(iv) **श्री नीरज कुमार (46 वर्ष)** श्री नीरज कुमार, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार में निदेशक के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपना पदभार 17 अगस्त, 2011 को ग्रहण किया। श्री कुमार भारतीय डाक सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं। उनकी शैक्षणिक योग्यता पटना विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक (भू–गर्भ शास्त्र) है। डाक विभाग में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने राजस्थान, तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न भागों में कार्य किया है। वर्ष 2002 में उन्होंने निदेशक, डाक सेवाएं छत्तीसगढ़ सर्कल, रायपुर का पदभार ग्रहण किया। वर्ष 2004 में उन्होंने संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डाक विभाग में निदेशक के रूप में डाक भवन, नई दिल्ली में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने व्यापार विकास और विपणन निदेशालय में अपर महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य किया है। श्री कुमार ने विदेशों में आयोजित होने वाले विभिन्न सेमिनार/सम्मेलनों में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है।

(v) **डा. के. एस. राव (54 वर्ष)** डा. के. एस. राव, प्राध्यापक, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन विभाग, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्नम ने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना पदभार 16 दिसंबर, 2010 को ग्रहण किया। उन्हें अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में 26 वर्ष का सुदीर्घ और विस्तृत अनुभव प्राप्त है। वे ''अखिल भारतीय वाणिज्य संस्था'' और ''केरल वाणिज्य संस्था'' के आजीवन सदस्य हैं। वे ''अनुसंधान और विकास संस्था'' और ''भारतीय लेखांकन संस्था'' के भी सदस्य हैं। डा. के. संबासिवा राव को ''यूजीसी कैरियर पुरस्कार'' से पुरस्कृत किया गया है। उन्होंने पीएसएससीआईवीई (एनसीईआरटी विंग) द्वारा आयोजित अवसंरचनात्मक सामग्री विकास हेतु विभिन्न कार्यकारी समूहों की बैठकों में एक सदस्य के रूप में भाग लिया है। वे आंध्रा विश्वविद्यालय से संषेधित विभिन्न महाविद्यालयों में शासी निकाय के भी सदस्य हैं।

3. लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति

कंपनी में एक लेखापरीक्षा समिति है जिसका विधिवत गठन निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों में परिभाषित शक्तियों और भूमिका के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क के अनुसार निदेशक बोर्ड द्वारा किया गया है।

वर्ष के दौरान श्री ए. के. रतवानी, निदेशक (परियोजनाएं) ने 31 अगस्त 2011 को अपना कार्यकाल पूरा किया। श्री ए. के. रतवानी का कार्यकाल पूर्ण होने के परिणाम स्वरुप लेखापरीक्षा समिति का पुर्नगठन किया गया और श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध, ईपीआई को सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। इसके पश्चात् 2 जनवरी, 2012 को श्री वीनू गोपल को निदेशक (परियोजनाएं) नियुक्त किया गया और लेखापरीक्षा समिति में श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध, ईपीआई के स्थान पर श्री वीनू गोपाल को सदस्य के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से 19 जनवरी, 2012 को लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया।

31.03.2012 को समिति का स्वरूप निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	वर्ग
डा. के. एस. राव	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक
श्री आर. असोकन	सदस्य	सरकारी नामिती
श्री वीनू गोपाल,	सदस्य	निदेशक (परियोजनाएं)

वर्ष 2011–12 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें क्रमशः 27 जून, 2011 और 19 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई। 27 जून, 2011 को आयोजित बैठक सरकारी नामिती की अनुपस्थिति के कारण स्थिगित कर दी गई और स्थगित बैठक 06 सितंबर, 2011 को आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292क और निगमित शासन व्यवस्था पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

4. मेहनताना समिति

ईपीआई के निदेशक बोर्ड द्वारा अपनी 19 जनवरी, 2012 को आयोजित की गई बैठक में मेहनताना समिति का पुनर्गठन किया गया और श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) को समिति में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 2011–12 के दौरान मेहनताना समिति की तीन बैठकें क्रमशः दिनांक 24 अक्टूबर, 2011, 19 जनवरी, 2012 और 28 मार्च, 2012 को आयोजित की गई।

31.03.2012 को समिति का स्वरूप और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	संगत कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया गया
डॉ. के. एस. राव अध्यक्ष	3	3
श्री आर. असोकन सदस्य	3	3
श्री ए.के. वर्मा सदस्य	3	3
श्री वीनू गोपाल सदस्य	1	1

मेहनताना समिति के विचारार्थ विषय

मेहनताना समिति के विचारार्थ विषयों में वार्षिक बोनस/चर वेतन पूल और निर्धारित सीमा के साथ कार्यपालकों और गैर कार्यपालकों के बीच इसके संवितरण के लिए नीति सहित कर्मचारियों के मेहनताने से संबंधित पहलुओं पर आवश्यक कार्रवाई करना शामिल है। इसके अलावा निदेशक बोर्ड द्वारा किसी को भी विशेष रूप से इसकी सिफारिश के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

5. शेयर स्थानांतरण समिति

कंपनी में एक शेयर स्थानांतरण समिति है, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जो शेयरों के सभी प्रकार के हस्तांतरणों, प्रेषण से जुड़े मामले देखती है। मैसर्स एमसीएस लिमिटेड को पंजीयकृत के रूप में और शेयर स्थानांतरण के पंजीयन और डिपोज़ीटरी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।

6. बोर्ड की सतत् विकास समिति

स्थाई विकास (एसडी) पर डीईपी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में एसडी पर बोर्ड स्तर की एक समिति का 19 जनवरी, 2012 को गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. डॉ. के. एस. राव, निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री ए. के. वर्मा, निदेशक (वित्त)– सदस्य
3. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) – सदस्य

समिति की पहली बैठक 29 फरवरी, 2012 को आयोजित की गई, जिसमें समिति ने कंपनी की एसडी नीति अनुमोदित की।

7. प्रकटन (उजागर करना)

क. वर्ष 2011–12 के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताने तथा स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई सिटिंग फीस के विवरण निम्नानुसार हैं:–

क. प्रकार्यात्मक निदेशक

(राशि ₹ में)

निदेशक	वेतन	परिलब्धि	कुल योग
श्री एस पी एस बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	23,04,286	1,52,865	24,57,151
श्री ए.के. रतवानी निदेशक (परियोजनाएं)	8,16,495	71,937	8,88,432
श्री वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	3,96,424	8,100	4,04,524
श्री ए. के. वर्मा निदेशक (वित्त)	19,83,134	1,45,692	21,28,826

ख. स्वतंत्र निदेशक

(राशि ₹ में)

निदेशक	सिटिंग फीस
डॉ. के. एस. राव	87,500

(i) वर्ष के दौरान प्रकार्यात्मक निदेशकों के वेतन और गैर प्रकार्यात्मक निदेशकों की सिटिंग फीस को छोड़कर संबंधित पार्टी का कोई भी लेनदेन नहीं किया गया।

(ii) सांविधिक बकायों की स्थिति के साथ–साथ सांविधिक अनुपालन रिपोर्ट निदेशक बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

(iii) यह पुनः सुनिश्चित किया जाता है कि अपील के अधीन बिक्री कर संबंधी मामले को छोड़कर किसी भी सांविधिक निकाय द्वारा कोई भी शास्ति, निन्दा आदि अधिरोपित नहीं की गई है।

(iv) निदेशक बोर्ड और इसकी उप–समितियों के स्वरुप को छोड़कर कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है क्योंकि भारत सरकार स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर रही है।

(v) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के कोई निर्देश जारी नहीं किए गए।

(vi) वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन के लिए होने वाला निजी प्रकृति का कोई भी व्यय और ऐसा कोई व्यय जो व्यावसायिक खर्च के उद्देश्य से न किया गया हो, को कंपनी की खाताबही से डेबिट नहीं किया गया है।

(vii) कंपनी ने एक व्हिशिल ब्लोअर नीति तैयार की है और किसी भी व्यक्ति को लेखा समिति से मुलाकात करने की अनुमति दी गई है।

(viii) कुल व्यय की तुलना में प्रशासनिक व्यय और कार्यालय व्यय का प्रतिशत गत वर्ष के 5.60% की तुलना में बढ़कर 7.23% हो गया है। प्रशासनिक व्यय में कर्मचारियों के ₹ 4536 लाख (गत वर्ष ₹ 4626 लाख) और अन्य व्यय के ₹ 1982 लाख (गत वर्ष ₹ 1571 लाख) शामिल हैं। यह वृद्धि आंशिक रूप से वर्ष के दौरान अन्य व्यय में वृद्धि वर्ष और आंशिक रूप से वर्ष के दौरान कुल व्यय में कमी के परिणामस्वरूप हुई है जो टर्नओवर में संगत कमी के कारण हुई है।

8. जोखिमों प्रबंधन और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति

ईपीआई ने कंपनी के चारों ओर जोखिमों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें समाप्त करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। ईपीआई की जोखिम प्रबंधन नीति का प्रमुख उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और उनका उन्मूलन करने, प्रतिक्रियात्मक प्रबंधन के बजाए सक्रिय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने और पूरे संगठन में निर्णय करने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

इसके अलावा कंपनी में व्याप्त धोखाधड़ी की रोकथाम, पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए सितंबर, 2010 से एक धोखाधड़ी रोकथाम नीति लागू की है।

9. आम सभा की बैठकें

(i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

एजीएम	वित्त वर्ष	वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय	स्थान
41वीं	2010–11	29 सितंबर, 2011, अपराह्न 4.30 बजे*	कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
40वीं	2009–10	30 सितंबर, 2010, अपराह्न 3.00 बजे	कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
39वीं	2008–09	29 सितंबर, 2009, अपराह्न 3.00 बजे	कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली

* वार्षिक आम बैठक 29 सितंबर, 2011 को भारत के नियंत्रक और महा लेखा परिक्षक की टिप्पणियां न मिलने की वजह से स्थगित की गई और 30 सितंबर, 2011 को आयोजित की गई।

(ii) पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित किए गए विशेष संकल्पों के विवरण

एजीएम	वित्त वर्ष	पारित किए गए विशेष संकल्प के विवरण
41वीं	2010–11	कुछ नहीं
40वीं	2009–10	(i) कंपनी के संगम अनुच्छेद में संशोधन (ii) कंपनी का सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तन
39वीं	2008–09	कुछ नहीं

10. शेयर धारकों के साथ सम्प्रेषण के साधन

कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा अपने पास रखी जा रही है, और इसके लिए केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के सात उद्यम और इन उद्यमों की ओर से एक एक न्यास का गठन किया गया है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी में से 99.98% भारत सरकार के पास रहती है। कंपनी अपनी पूर्ण वार्षिक रिपोर्टों सभी शेयरधारकों की सूचनार्थ कंपनी की वेबसाइट में द्विभाषी रूप में प्रदर्शित करती है। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 29.04.2011 के परिपत्र संख्या 17/95/2011–सीएल. वी के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट और शेयरधारकों से संबंधित अन्य कागजात मूल रूप के साथ–साथ इलेक्ट्रोनिक रूप में भी उन्हें नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं।

11. लेखा परीक्षा संबंधी अर्हताएं

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां निदेशकों की रिपोर्ट के शुद्धि पत्र में दी गई हैं।

12. निदेशक बोर्ड के लिए प्रशिक्षण

कंपनी निदेशकों को निदेशक बोर्ड में अपनी सेवाएं प्रारंभ करने के समय दस्तावेजों और बुकलेटों का एक सेट देती है और कंपनी की कार्यप्रणाली पर आधारित एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इसमें कंपनी के निष्पादन के बारे में महत्वपूर्ण डेटा, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देश, निदेशकों की भूमिका और उत्तरदायित्व आदि शामिल होते हैं। निदेशकों को इस संदर्भ में आयोजित किए गए सेमिनारों/सम्मेलनों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

13. व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के पास एक व्हिसिल ब्लोअर नीति मौजूद है, जिसके तहत किसी भी प्रकार के गोपनीय डेटा का प्रकटन करने वाले व्यक्ति को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है। सभी कर्मचारी कंपनी के अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति को संरक्षित रूप मुख्यतः लिखित में अपनी समस्याओं का प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

14. आचार संहिता

निदेशक बोर्ड ने कंपनी के प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यवसाय संचालित करने संबंधी कोड और नीतियां (नीतिशास्त्र) तैयार की हैं। इस कोड की प्रति कंपनी की वेबसाइट http://www.epi.gov.in. में दर्शाई गई है। कंपनी के निदेशक बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख उच्चाधिकारियों ने इस कोड का अनुपालन सुनिश्चित किया है। इस संबंध में एक घोषणा पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र

इस रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन से संबंधित दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है और इसमें दिशानिर्देशों के परिशिष्ट–VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निगमित शासन के संबंध में सभी अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपार्ट भी प्रशासनिक मंत्रालय को नियमित रूप से भेजी जाती है। केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन से संबंधित प्रैक्टिस करने वाले कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

सी डी आर आई परिसर, लखनऊ

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान निदेशक बोर्ड, सदस्यों और प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन से संबंधित अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का घोषणा पत्र

मैं, एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि निदेशक बोर्ड के सभी सदस्यों और कंपनी के प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी के व्यवसाय संचालन संबंधी कोड और नीतियों (आचार संहिता) का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02548430

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 13.09.2012

ईपीआई द्वारा टीटीडी, आंध्रा प्रदेश के लिए निर्मित, नन्दाकम अतिथि गृह, का उद्घाटन निदांक 09–09–2012 को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा किया गया

एजीबी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कार्यालयः पहली मंजिल,
970, सेक्टर–210,
फरीदाबाद–121001 (हरियाणा)
निकट नई दिल्ली
फोनः 95–129–4080970, मो.9811386723, 9873186723
ई–मेलः gargajay24@yahoo.co.in, agbassociates@yahoo.in

निगमित शासन संबंधी प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
कोर 3, स्कोप कॉम्पलेक्स,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. (जिसे यहां आगे कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए निगमित शासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच भारत सरकार, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग की मूल रूप में जारी दिनांकः 22.06.2007 की अधिसूचना संख्या 18(8)2005–जीएम के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी किए गए संषोधित दिषानिर्देषों में किए गए उल्लेख और उसके तहत उल्लिखित अनुबंधों, (जिन्हें यहां आगे दिशानिर्देश कहा गया है) के अनुसार की है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की होती है। हमारी जांच ऊपर दिए गए दिशानिर्देश में उल्लेखित किए अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई नई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में अपने दृष्टिकोण की कोई अभिव्यक्ति है।

हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त दिशानिर्देशों में मामूली मुद्दों को छोड़कर उल्लिखित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी जीवन क्षमता के लिए कोई आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता की कोई दक्षता है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

हस्ताक्षरित....
एजीबी एण्ड एसोसिएट के लिए

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11 नवंबर, 2012

(नितिन रावत)
कंपनी सचिव
सीपी संख्याः 10554

प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक संरचना और विकास

पिछले कुछ वर्षों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और विकास प्रोत्साहजनक नहीं रहे हैं। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य जो कमोवेश पूरे वर्ष भर कुछ ठीक स्थिति में था, अचानक से सितंबर के महीने में तेजी से परिवर्तन हुआ और उस पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका प्रमुख कारण यूरो–जोन देशों में मौजूदा मंदी और ज्यादातर उन्नत देशों में संप्रभु ऋण की रेटिंग में तेजी से हो रही गिरावट हैं। यूएस की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार देखा गया परन्तु आर्थिक वृद्धि कमजोर ही बनी रही।

भारतीस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से यह वर्ष वसूली में बाधा का वर्ष रहा। ऐसा अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2011–12 के दौरान 6.9% की वृद्धि कमजोर औद्योगिक वृद्धि के परिणामस्वरूप हुई है। यह न केवल पिछले 02 वर्षों, जब आर्थिक वृद्धि 8.6% थी, की तुलना में कमी को दर्शाता है, बल्कि वर्ष 2008–09 में आर्थिक मंदी, जब वृद्धि दर 8.4% थी, को छोड़कर 2003 से 2011 तक कभी भी इतनी गिरावट नहीं आई है। परन्तु 6.9% की कमजोर वृद्धि दर के बावजूद भी भारत विश्व की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है क्योंकि तेजी से उभरकर सामने आ रही अर्थव्यवस्थाओं सहित सभी बड़े देशों में काफी मंदी का दौर जारी है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में अपर्याप्त अवसंरचना को त्वरित वृद्धि में बड़ी बाधा के रूप में माना गया। अतः 11वीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान सार्वजनिक और निजी भागीदारी द्वारा निवेश के माध्यम से अवसंचना पर निवेश को व्यापक तौर पर बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस संदर्भ में न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर बल्कि अलग–अलग राज्यों के स्तर पर भी काफी प्रगति की गई है। बड़ी संख्या में पीपीपी परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उनमें से बहुत सी परियोजनाएं केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर वर्तमान में प्रचालनरत हैं।

2011 की जनगणना से से पता चलता है कि शहरी जनसंख्या में वर्ष 2001 में 27.8% की तुलना में वर्ष 2011 में 31.2% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2030 तक इसमें 40% तक की वृद्धि होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्तायुक्त अवसंरचना, विशेषरूप से जल, सीवेज, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट और कम लागत वाली आवास व्यवस्था आदि की मांग तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा योजना आयोग ने अपने एप्रोच पेपर में 12वीं पंच वर्षीय योजना अवधि (2012–17) के दौरान 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किए जाने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान है कि कम से कम 50% निवेश निजी क्षेत्र से किया जाएगा जबकि 11वीं पंच वर्षीय योजना में 38% का अनुमान लगाया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र निवेश को 11वीं पंच वर्षीय योजना के दौरान ₹ 13.1 लाख करोड़ के व्यय की तुलना में ₹ 22.5 लाख करोड़ तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अतः अवसंरचना के लिए वित्तपोषण आने वाले वर्षों में एक बड़ी चुनौती होगी और इसके लिए नवोद्भव से परिपूर्ण विचार और वित्तपोषण के नए मॉडलों की आवश्यकता होगी।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

प्रबल पक्ष

- एकीकृत इंजीनियरिंग परियोजना प्रबंधन और निर्माण कंपनी जिसे परिचालन के सभी बड़े क्षेत्रों में व्यापक रेंज की परियोजनाएं पूरी करने और टर्नकी आधार पर उनका निष्पादन करने का अनुभव प्राप्त है।
- इन–हाउस डिजाइन, इंजीनियरिंग और परियोजना प्रबंधन क्षमताएं।
- दक्ष एवं सक्षम कार्मिकों की टीम का उपलब्ध होना।

- पान इंडिया उपस्थिति और संपूर्ण भारत में अपने प्रचालनों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए विभिन्न भौगोलिक अस्थितियों में पांच क्षेत्रीय कार्यालय।
- अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुभव।
- लगातार बेहतर निष्पादन।
- लाभ कमाने वाली और लाभांश का भुगतान करने वाली कंपनी
- कर्ज मुक्त कंपनी।

कमजोर पक्ष/जोखिम/चिंताएं

- प्रतियोगी बाजार में प्रचालन,
- सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन किराए पर लेने और उन्हें बनाए रखने की समस्या,
- निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ उच्च तरलता भी ईपीआई को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा रही है,
- पीपीपी आधार पर परियोजनाओं के निष्पादन का कोई अनुभव नहीं,
- इक्विटी/पूंजी निवेश के लिए लागू प्रतिबंध कंपनी की वृद्धि से जुड़े पहलुओं को प्रभावित करते हैं,

अवसर

- स्टील प्लांट और विद्युत परियोजनाओं का भारी मात्रा में विस्तार,
- जलापूर्ति, ड्रेनेज, सड़क, शहरी परिवहन प्रणाली की शहरी नवीनीकरण परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित की जा रही बड़े मूल्य वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाएं,
- भविष्य में नहरों, बांधों, नदियों की संबद्धता के कार्यों में भारी मात्रा में निवेश किए जाने की योजना है,
- केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा भी ''जमा कार्य आधार पर'' विभिन्न परियोजनाएं प्रस्तावित की जा रही हैं,
- सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष भूमि का विकास,

चुनौतियां

- अवसंरचना क्षेत्र में बहुत सी छोटी–छोटी कंपनियों की भीड़ जमा हो गई है,
- सिंचाई और डब्ल्यूएसएस क्षेत्रों ईपीसी संविदाकारों के लिए प्रवेश हेतु शर्तों का शिथिल होना,
- भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृतियां मिलने में काफी विलंब,
- कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी चिंताएं,
- उद्योग जगत में गुणवत्ता जागरूकता की कमी,

खण्ड–वार (सेगमेंट–वार) और उत्पाद–वार निष्पादन

कंपनी के टर्न ओवर में सेगमेंट–वार और उत्पाद–वार सर्वाधिक योगदान गृह और भवन निर्माण से संबंधित कार्यों का ही है, तत्पश्चात् औद्योगिक, संसाधन प्लांट, सामग्री रख–रखाव और विद्युत परियोजनाओं का स्थान आता है जिनके प्रतिशत शेयर में वर्ष 2010–2011 में 6.83% की तुलना में वर्ष 2011–12 में 33.42% की वृद्धि हुई है। उत्पादन। बांध और सिचाई परियोजनाओं के प्रतिशत में थोड़ा कमी आई है और यह वर्ष 2010–11 में 7.82% से घटकर वर्ष 2011–2012 में 6.82% हो गया है अर्थात् इसमें 1% की गिरावट दर्ज की गई है।

नीचे दी गई तालिका में कंपनी के प्रचालनों का सेगमेंट–वार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजनाओं के सेगमेंट	2009–10		2010–11		2011–12	
		टर्नओवर	%	टर्नओवर	%	टर्नओवर	%
1	आवास और वन निर्माण	603.20	57	766.15	69.42	575.72	63.88
2	बांध और सिचाई परियोजनाएं	106.32	10	86.31	7.82	9.00	1.00
3	औद्योगिक, प्रक्रिया प्लांट, सामग्री रख–रखाव और इलेक्ट्रिकल परियोजनाएं	95.88	9	75.36	6.83	301.19	33.42
4	जलापूर्ति और पर्यावरणीय योजनाएं	144.23	14	77.91	7.06	0.3	0.03
5	परिवहन संरचनाएं	34.12	3	2.46	0.22	4.22	0.47
6	अन्य परियोजनाएं	78.25	7	95.50	8.65	10.84	1.2
	जोड़	**1062.00**	**100**	**1103.69**	**100**	**901.27**	**100**

दृष्टिकोण

11वीं योजना के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के मिश्रण के रूप में निवेश के लिए बड़ी सफलता मिली है। इसके अलावा, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अवसंरचा क्षेत्र में निवेश के ₹ 45 लाख करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से आधा निवेश निजी क्षेत्र से होने की आशा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश और पीपीपी मॉडल के जरिए अवसंरना में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश की सफलता को ध्यान में रखते हुए ईपीआई निजी भागीदरी के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है अथवा आने वाले कुछ वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में नई परियोजनाओं/अवसरों का लाभ उठाने के लिए निजी कंपनियों के साथ रणनीतिक और महत्वपूर्ण समझौते कर सकता है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी के पास अपने प्रचालनों की दक्षता को बनाए रखने और लागू संगत विधियों और विनियमों के अनुपालन के लिए एक प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। संगठन में सुसंगठित नीतियां और दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं, जिनके अनुसार कार्य निष्पादित किए जाते हैं। अपर महाप्रबंधक की रेंक वाले एक योग्य एवं अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में व्यावसायिक योग्यता और अनुभव रखने वाली इन–हाउस आंतरिक लेखापरीक्षा टीम द्वारा नियमित रूप से एवं सघन आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की जाती हैं, जो सीधे अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करते हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा से न केवल प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं, बल्कि इससे हर स्तर पर जवाबदेही में भी वृद्धि हुई है। प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति द्वारा समय–समय पर आन्तरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जा रही है और सतत् सुधार के एक भाग के रूप में समय–समय पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रचालनात्मक निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

कंपनी ने लाभ वर्ष 2010–11 में ₹ 2258 लाख की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 3636 लाख का कर पूर्व निबल अर्जित किया है। इस प्रकार इस मद में कंपनी ने 61.07% की वृद्धि दर्ज की है और कंपनी ने गत वर्ष में ₹ 1,10,369 लाख के टर्नओवर

की तुलना में वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 90,127 लाख का टर्नओवर अर्जित किया है। इसी प्रकार कंपनी ने गत वर्ष में ₹ 2499 लाख की तुलना में वर्ष 2011–12 में ₹ 4356 लाख का सकल मार्जिन भी अर्जित किया है और इसमें 74.35% की वृद्धि दर्ज की है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के निबल मूल्य वर्ष 2010–11 में ₹ 16,050 लाख की तुलना में वर्ष 2011–12 में बढ़कर ₹ 17,673 लाख हो गया है, इस प्रकार इसमें 10.11% की वृद्धि दर्ज की गई है।

आपके बोर्ड ने ₹ 708 लाख के लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो प्रदत्त शेयर पूंजी के 20% के समतुल्य है।

रोजगाररत कर्मचारियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में वास्तविक विकास

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में औद्योगिक संबंधों की संस्कृति सौहार्दपूर्ण और शान्तिपूर्ण बनी रही। कंपनी अपने कर्मचारियों की अंतर्निहित क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करने और कार्य संस्कृति में सतत् सुधार करने के लिए प्रयास करती रही है। यह बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से अपने कर्मचारियों में नेतृत्व क्षमताओं और रणनीतिक अभिमुखीकरण का विकास करने पर भी ध्यान केंद्रित करती रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान भी उभरती हुई परम्पराओं जैसे निगमित सुशासन, लिंग भेद संबंधी चिंताओं, सड़क और सेतु निर्माण के क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण, ई–खरीद, वैश्विक स्तर पर प्रतियोगी, प्रौद्योगिकी रणनीति और यूनाइटेड नेशन्स ग्लोबल कॉम्पेक्ट आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, विदेशी विनिमय संरक्षण

(क) पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण

पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्माण स्थलों पर वृक्षारोपण, जल संचयन प्रणाली, प्राकृतिक प्रकाश का सदुपयोग, थर्मल इन्सुलेशन, पर्यावरण की दृष्टि से मित्रवत और अनुकूल निर्माण सामग्री के प्रयोग, ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष लाइटिंग प्रणाली, व्यवस्थित भवन प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर स्कोप कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में ईपीआई द्वारा एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत स्कोप बिल्डिंग के आस–पास लगभग 1000 वृक्ष लगाए गए।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

प्रौद्योगिकी संरक्षण के एक भाग के रूप में ईपीआई ने उत्थापन अवधि को न्यूनतम करने के साथ–साथ उत्थापन प्रक्रिया से बचने के लिए अपनी कुछ परियोजनाओं में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी) की संकल्पना को पुनः लागू किया है।

(ग) विदेशी विनिमय संरक्षण

कंपनी की नीति के भावी नज़रिए ने भारत में आधुनिक उत्पादन और संसाधन सुविधाओं की स्थापना के लिए विकासशील प्रौद्योगियों के इस्टतम सदुपयोग को सुकर एवं समर्थ बनाया है। ऐसे बहुत से प्लांटों को विदेश आधारित प्रौद्योगिकी डिजाइन के देशज स्रोतों से मशीनरी, अपस्कर और सुविधाओं के उपयुक्त आधुनिकीकरण और आमेलन की आवश्यकता है। सभी प्रक्रियाओं के भारतीय परिस्थितियों में प्रचालन के लिए उनकी सधन जांच और परीक्षण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्लांट एवं मशीनरी का प्रत्यक्ष आयात न्यूनतम हो गया है। मूल्यवान विदेशी विनिमय से होने वाला बहिर्गमन विदेशों में विकसित नई प्रौद्योगिकियों और तकनीकी ज्ञान पर आधारित सुविधाओं की विस्तृत इंजीनियरिंग, विनिर्माण और असेम्बली में भारतीय विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए उन्नत डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं को शामिल करते हुए न्यूनतम रहा है।

निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में आपकी कंपनी परियोजना स्थल के आस–पास रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए आपसी विश्वास और एक – दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए एक सकारात्मक और दूरगामी सामाजिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीआई का सीएसआर विज़न निम्नानुसार है :

''व्यापक स्तर पर समाज के हितों के लिए कार्य करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना तथा सकारात्मक और सामाजिक तौर पर एक जिम्मेदार निगमित निकाय के रूप में ईपीआई की छवि निर्मित करना''

वित्त वर्ष 2011–12 के दौरान कंपनी ने सीएसआर कार्यकलापों के लिए कर पश्चात् लाभ की 3% राशि आवंटित की है और निम्नलिखित कार्यकलाप संचालित किए हैं :

(i) द्वारका (दिल्ली) और जोका (कोलकाता) में परियोजना स्थलों के आस–पास रहने वाले बेरोजगार युवा लोगों के लिए मैशनरी, कारपेंटरी, बार–बेंडिंग, सामान्य पर्यवेक्षकीय कार्य आदि जैसी विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास कार्यक्रम। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लाभार्थियों को मैसर्स शापूरजी पल्लोनजी एण्ड कंपनी, मैसर्स लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड, मैसर्स सिम्प्लेक्स इनफ्रॉस्ट्रक्चर, मैसर्स रोज़ वेली कंपनी, मैसर्स बी. एल. कश्यप कंपनी, मैसर्स जी. डी. कंस्ट्रक्शन, मैसर्स आर. डी. एस. परियोजनाएं आदि जैसी कंपनियों में रोजगार मुहैय्या कराया गया है।

(ii) झांसी (उत्तर प्रदेश) की वंचित, दीन–हीन और निराश्रित महिलाओं के लिए टेलरिंग, कटिंग और वस्त्र डिजाइनिंग में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(iii) बिहार के नालंदा जिले में की गई सामुदायिक विकास परियोजना में कौशल विकास, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे, स्ट्रीट लाईटिंग, स्वच्छ पेयजल और साफ–सफाई यह कार्यक्रम बिहार के नालंदा जिले के राजगीर ब्लॉक में स्थित 20 गांवों में चलाया जा रहा है।

सीएसआर के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए ईपीआई को उभरते हुए क्षेत्र में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के लिए ''गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, 2012'' से नवाजा गया।

स्वास्थ्य और स्वच्छता सत्र, नालंदा जिला, राजगीर ब्लॉक

सचेतक बयान

प्रबंधकीय विचार–विमर्श और विश्लेशण रिपोर्ट में कंपनी के उद्देश्यों, संभावनाओं और अपेक्षाओं को लागू विधियों और विनियमों की अर्थाभिव्यक्ति के अंतर्गत ''अग्रगामी दृष्टिकोण'' माना जाए। वास्तविक परिणाम व्यक्त किए गए अथवा निहित परिणामों से आंशिक रूप से अथवा वास्तविक रूप से अलग हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकने वाले महत्वपूर्ण विकास कार्यों में अवसंरचनात्मक क्षेत्र में मंदी, भारत में राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर विधियां, मुकद्मेबाजी और श्रमिक संबंध शामिल होते हैं।

ईपीआई द्वारा नालंदा जिला, राजगीर ब्लॉक में चिकित्सा स्वास्थ्य चैक–अप शिविर का आयोजन

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध : लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स् (इंडिया) लि. के सदस्य

1. हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स् (इंडिया) लि. (जिसे ''कंपनी'' कहा गया है) की 31 मार्च, 2012 का संबद्ध तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और उपर्युक्त तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संलग्न नकदी प्रवाह से संबंधित विवरण (जिसे सामूहिक तौर पर ''वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित किया गया है), जिसमें पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालयों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की होती है। हमारी जिम्मेदारी ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है।

2. हमने लेखापरीक्षा का कार्य सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानदण्डों के अनुसार किया है। इन मानदण्डों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि हम ऑडिट की योजना और निष्पादन यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार करें कि कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी न की गई हो। अर्थात् उसमें कोई भी गलत जानकारी शामिल न की गई हो। किसी भी लेखापरीक्षा में इस बात की जांच निहित होती है कि वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों को स्पष्ट तौर पर उजागर किया गया हो और उनके साक्ष्य के तौर पर संगत दस्तावेज संलग्न किए गए हों। लेखापरीक्षा में इस बात का मूल्यांकन भी शामिल होता है कि लेखाकरण के किन सिद्धांतों का उपयोग किया गया है और महत्वपूर्ण अनुमान प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए हैं। इसके साथ–साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों का बारीकी से मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। हमारा मानना है कि लेखापरीक्षा के अन्तर्गत पाई जाने वाली कमियों अथवा गलत विवरणों के बारे में हमारा दृष्टिकोण सही है और उसके लिए उचित आधार उपलब्ध कराया गया है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 227 की उप धारा (4क) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (''आदेश'') (यथा संशोधित) के अनुसार हम अनुबंध में एक विवरण पत्र संलग्न करते हैं जिसमें उपर्युक्त आदेश के पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में एक विवरण दिया गया है।

4. इसके अलावा ऊपर संदर्भित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के संबंध में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :–

   (क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

   (ख) हमारे दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत यथावश्यक उचित लेखाबही रखी गई हैं, जहां तक उन लेखाबहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से ऐसा प्रतीत होता है कि शाखाओं से प्राप्त की गई उचित विवरणियां हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य पर्याप्त हैं, परंतु हमारे द्वारा उन शाखाओं का दौरा नहीं किया गया;

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उन्हें आवश्यकतानुसार देखा और पढ़ा गया है;

   (घ) इस रिपोर्ट से संबंधित वित्तीय विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं;

   (ङ) निदेशकों की अयोग्यता (अनअर्हता) के संदर्भ में कंपनी कार्य विभाग द्वारा अपने स्पष्टीकरण सं. जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों से सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की गई है; और

(च) उपर्युक्त पैराग्राफ 4 एवं 5 में हमारी टिप्पणी के अध्यधीन हमारे दृष्टिकोण से और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना एवं जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार इस रिपोर्ट से संबंधित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 221 की उपधारा (3ग) और उसके तहत बनाए गए नियमों में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं और अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सूचना अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं तथा इस मामले में भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं:–

(i) 31 मार्च, 2012 को कंपनी के कार्यों की स्थिति के संबंध में तुलन पत्र;

(ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ संबंधी लाभ और हानि लेखा; और

(iii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह हेतु नकदी प्रवाह विवरण।

कृते सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या–012018एन

सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 072783

स्थान : नई दिल्ली
तरीख : 11.09.2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. के सदस्यों के लिए सम संख्यक तारीख की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के वित्तीय विवरणों की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और खाताबहियों व लेखापरीक्षा के दौरान सामान्यतः हमारे द्वारा जांच किए गए अन्य रिकार्डों को ध्यान में रखते हुए की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं–

(i) (क) कंपनी द्वारा उचित रिकार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें मात्रात्मक विवरणों और निर्धारित परिसंपत्तियों की स्थिति सहित सभी विवरण स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा निर्धारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन के दौरान कोई भी वास्तविक कमी नहीं पाई गई। हमारे दृष्टिकोण से कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार सत्यापन की आवृत्ति सर्वथा उचित है।

(ग) हमारे दृष्टिकोण से निर्धारित परिसंपत्तियों के एक आंशिक भाग का निपटान वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

(ii) (क) कंपनी की इनवेंटरी में जारी निमार्ण कार्य और सामग्री का स्टॉक शामिल है। प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इनवेंटरी (संविदाकारों के पास पड़े स्टॉक, जिसके लिए पुष्टि संबंधी सूचना प्राप्त कर ली गई है, को छोड़कर) का वास्तविक (भौतिक) सत्यापन किया गया है। हमारे दृष्टिकोण से सत्यापन की आवृत्ति/अंतराल उचित है।

(ख) प्रबंधन द्वारा इनवेंटरी के वास्तविक सत्यापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति की दृष्टि से उचित और पर्याप्त हैं।

(ग) कंपनी ने इनवेंटरी का उचित रिकार्ड तैयार किया है और उनके भौतिक सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की वास्तविक कमी नहीं पाई गई।

(iii) (क) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को ऐसे कोई भी सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण मंजूर नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4 (iii) (ख) से (घ) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ख) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों से ऐसा कोई भी सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं लिया है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4 (iii) (च) एवं 4 (iii) (छ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(iv) हमारे दृष्टिकोण से कंपनी ने इसके आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार इनवेंटरी और निर्धारित परिसंपत्तियों की खरीद तथा माल और सेवाओं की बिक्री के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान उपर्युक्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई भी बड़ी कमी देखने को नहीं मिली है।

(v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 में संदर्भित निविदाएं अथवा करार नहीं किए हैं। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(v) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vi) कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 58क और 58कक और कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति) नियमावली 1975 की अर्थाभिव्यक्ति के अन्तर्गत जनता से कोई भी जमा राशियां स्वीकार नहीं कीं हैं। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vii) कंपनी में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली मौजुद है, हमारे दृष्टिकोण से उसकी व्याप्ति और अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाए जाने की आश्यकता है। इसे कंपनी के आकार और व्यापार की प्रकृति के अनुसार बढ़ाया जाना चाहिए।

(viii) हमारे यथेष्ट ज्ञान और विश्वास के आधार पर केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम की धारा 209 की उपधारा (1) के उपबंध (घ) के अन्तर्गत कंपनी के उत्पादों के संदर्भ में लागत रिकार्डों के रख–रखाव को भी निर्धारित नहीं किया है।

(ix) (क) कंपनी सामान्यतः भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्तिकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर तथा अन्य वास्तविक सांविधिक देयताओं सहित यथा लागू गैर विवादित सांविधिक देयताएं उचित प्राधिकारियों (प्राधिकरणों) के पास नियमित रूप से जमा कर रही है। इसके अलावा हमें यह सूचित किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि के प्रावधान कंपनी के संबंध में लागू नहीं होते हैं। इस संबंध में ₹ 58,54,331/– की राशि को छोड़कर गैर–विवादित राशियां वर्ष के अंत में उनकी देयता की तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए भुगतान हेतु देय नहीं हैं:

क्रं सं.	संविधि का नाम	बकायों की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	राशि (रुपए में)	तारीख तक भुगतान किया गया
1.	मणिपुर वैट अधिनियम,	वैट	2010–2011	42,84,806	30.07.12
2.	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम	वैट	2010–2011	27,145	24.07.12
3.	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	2010–2011 2011–2012	1,16,606	09.07.12
4.	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	2010–2011 2011–2012	14,972	07.07.12
5.	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	2010–2011	449	23.06.12
6.	बिहार श्रमिक उपकर	श्रमिक उपकर	2010–2011	13,51,856	31.07.12
7.	झारखण्ड श्रमिक उपकर	श्रमिक उपकर	2010–2011	58,497	01.08.12
जोड़				**58,54,331**	

(ख) विवाद के परिणामस्वरूप बिक्री कर, आय कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपकर आदि के संदर्भ में बकाया देनदारियां निम्नानुसार हैं :

संविधि का नाम	बकायों की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां वाद लंबित है
दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975	शास्ति	40,000	1990–91	सहायक आयुक्त, बिक्री कर
दिल्ली बिक्री कर अधिनियम, 1975	सीएसटी	9,745,379	1995–96, 1997–98 और 1998–1999	अपर आयुक्त, बिक्री कर

संविधि का नाम	बकायों की प्रकृति	राशि (रुपए में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां वाद लंबित है
उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	872,500	1993–94	बिक्री कर अधिकरण
तमिलनाडु सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1959	तमिलनाडु जीएसटी	10,196,988	1997–1998	बिक्री कर अधिकरण, अतिरिक्त शाखा
गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969	वैट गुजरात	205,694	2004–2005	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील), अहमदाबाद गुजरात
गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969	वैट गुजरात	16,298,974	2005–2006	गुजरात वैट अधिकरण, अहमदाबाद, गुजरात
जोड़		**37,359,535**		

(x) हमारे दृष्टिकोण में कंपनी की वित्त वर्ष के अंत में कोई भी संचित हानियां नहीं हैं और इसके परिणाम स्वरूप चालू और पूर्ववर्ती वर्ष में कोई भी नकद हानियों का जिक्र नहीं किया है।

(xi) कंपनी की वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्थान अथवा कोई बैंक अथवा डिवेंचर धारक की कोई भी बकाया राशि देय नहीं है। तद्नुसार आदेश के उपबंध–4 (xi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xii) कंपनी ने शेयरों, डिवेंचरों और अन्य सुरक्षा निधियों की दलील के माध्यम से सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऋण अथवा अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं तद्नुसार आदेश के उपबंध 4 (xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xiii) हमारे दृष्टिकोण में कंपनी कोई चिट फंड अथवा निधि/आपसी लाभार्थ निधि/सोसाइटी नहीं है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(xiii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xiv) हमारे दृष्टिकोण में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, डिवेंचरों और अन्य निवेशों से संबंधित कार्य अथवा व्यापार नहीं करती है। अतः आदेश के उपबंध 4(xiv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xv) जैसा हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने अन्य लोगों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई भी गारंटियां प्रस्तुत नहीं की हैं। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी का वर्ष के दौरान कोई भी आवधिक ऋण बकाया नहीं है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(xvi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी की वर्ष के दौरान कोई भी उधार ली गई राशियां बकाया नहीं हैं तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(xvii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xviii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी भी पक्षकार अथवा कंपनियों को प्राथमिकता के आधार पर शेयरों का कोई भी आवंटन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(xviii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xix) कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई भी डिवेंचर जारी किए हैं और न ही उसके पास कोई बकाया डिवेंचर्स हैं। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4(xix) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक इश्यु जारी करके कोई भी धनराशि एकत्र नहीं की है। तद्नुसार आदेश के उपबंध 4 (xx) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

(xxi) हमारी लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान कंपनी द्वारा अथवा उस पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का मामला कोई नहीं देखा गया अथवा रिपोर्ट किया गया।

कृते सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीयन संख्या–012018एन

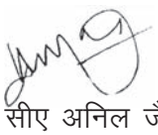

सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता सं. 072783

स्थान : नई दिल्ली
तरीख : 11.09.2012

तुलन पत्र 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार

(राशि ₹ में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	
I.	**आरक्षित व अधिशेष**					
1	**निधि प्रयोज्यता एवं अचल परिसंपत्ति**					
	क. शेयर पुजी	2.1	354,226,880		354,226,880	
	ख. आरक्षित और अधिशेष निधियां	2.2	1,413,075,636	1,767,302,516	1,250,743,213	1,604,970,093
2	**गैर–चालू देनदारियां**					
	क. अर्ध–कालिक उधारियां	2.3	.		.	
	ख. अन्य दीर्घकालिक देनदारियां	2.4	1,193,463,119		977,892,163	
	ग. दीर्घकालिक प्रावधान	2.5	204,929,126	1,398,392,245	190,858,556	1,168,750,719
3	**चालू देनदारियां**					
	क. अर्ध–कालिक उधारियां	2.6	.		.	
	ख. व्यापरिक देनदारियां	2.7	2,366,670,301		2,243,672,317	
	ग. अन्य चालू देनदारियां	2.8	54,136,258,159		50,425,998,212	
	घ. अल्प–कालिक प्रावधान	2.9	285,028,451	56,787,956,911	280,866,380	52,950,536,909
	जोड़			59,953,651,672		55,724,257,721
II.	**परिसंपत्तियां**					
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**					
	क. स्थाई परिसंपत्तियां	2.10				
	(i) मूर्त परिसंपत्ति		51,667,829		48,556,239	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्ति		2,084,766		1,426,362	
	(iii) जारी पूंजीगत कार्य		.		.	
	(iv) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां		.		.	
			53,752,595		49,982,601	

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार	
	ख. गैर–चालू निवेश	2.11	.		.	
	ग. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	2.12	89,569,029		85,201,948	
	घ. दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	2.13	2,056,041,105		2,256,052,586	
	ड. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	2.14	624,972,003	2,824,334,732	717,602,595	3,108,839,730
2	**चालू परिसंपत्तियां**					
	क. चालू निवेश	2.15	.		.	
	ख. इनवेंटरी	2.16	38,003,202,372		35,346,264,574	
	ग. व्यापारिक प्राप्तियां	2.17	1,615,907,775		595,382,533	
	घ. नकदी और बैंक में जमा राशियां	2.18	2,818,577,155		3,026,591,956	
	ड. अल्प–कालीन ऋण और अग्रिम	2.19	2,604,441,597		1,867,071,706	
	च. अन्य चालू परिसंपत्तियां	2.20	12,087,188,041	57,129,316,940	11,780,107,222	52,615,417,991
	जोड़			59,953,651,672		55,724,257,721
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1				
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2				

उपर संदर्भित अनुसूचियां, लेखाकरण नीतियां और लेखों पर की गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में है

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

(कुंमुदनी शर्मा)	(ए. के. गुप्ता)	(ए. के. वर्मा)	(एस पी एस बक्शी)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह तुलन पत्र हमारी समसंख्यक तारीख में संदर्भित तुलन पत्र है!

कृते सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या: 012018एन

सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या: 072783

स्थान: नई दिल्ली
तारीख:11 सितंबर, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

(राशि ₹ में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार
I.	**प्रचालन से प्राप्त राजस्व**	2.21	9,012,733,639	11,068,330,095
II.	अन्य आय	2.22	364,525,198	217,548,932
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		9,377,258,837	11,285,879,027
IV.	**व्यय :**			
	प्रचालन व्यय	2.23	8,289,703,647	10,416,160,245
	जारी कार्य की इनवेंटरी में परिवर्तन	2.24	–	–
	कर्मचारी लाभार्थ व्यय	2.25	453,626,893	462,699,006
	वित्तीय लागतें	2.26	64,745,431	18,611,448
	मूल्यह्रास और ऋण मोचन व्यय	2.10	7,253,942	5,503,624
	अन्य व्यय	2.27	198,282,992	157,127,908
	कुल व्यय		9,013,612,905	11,060,102,231
V.	**आपवादिक और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)**		363,645,932	225,776,796
VI.	आपवादिक मदें		–	–
VII.	**असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (V-VI)**		363,645,932	225,776,796
VIII.	असाधारण मदें		–	–
IX.	**कर पूर्व लाभ (हानि) (VII-VIII)**		363,645,932	225,776,796
X	कर संबंधी व्यय			
	वर्तमान / चालू कर		125,040,742	78,000,000
	आस्थगित कर व्यय / क्रेडिट		(4,367,081)	1,623,944
	न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता		(1,698,418)	(4,353,896)
XI.	**वर्ष के लिए लाभ (IX-X)**		244,670,689	150,506,748

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार
XII.	प्रति शेयर अर्जन–आधारभूत और मिश्रित	2.44	6.91	4.25
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		
	लेखाओं पर टिप्पणियां	2		

उपर संदर्भित अनुसूचियां, लेखाकरण नीतियां और लेखों पर की गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में है

बोर्ड के लिए तथा बोर्ड की ओर से

(कुंमुदनी शर्मा)		(ए. के. वर्मा)	(एस पी एस बक्शी)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह लाभ और हानि लेखा हमारी समसंख्यक तारीख में संदर्भित तुलन पत्र है!

कृते सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 012018एन

सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता संख्याः 072783

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः11 सितंबर, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

	विवरण	2011–2012	2010–2011
क.	**प्रचालन संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	363,645,933	225,776,796
	निम्नलिखित के लिए समायोजन		
	मूल्यह्रास और ऋण मोचन	7,253,942	5,525,606
	परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि/लाभ–निवल	17,933	(134,062)
	सावधि जमा पर ब्याज को छोड़कर ब्याज से होने वाली आय		
	सावधि जमा पर ब्याज	(226,555,751)	(103,543,512)
	अंतर–निगमित जमा राशियों पर ब्याज		
	निवेश से होने वाली आय		
	निवेश के लिए प्रावधान		
	स्थाई परिसंपत्तियां–लेखा में विलुप्त/बट्टेखाते डाली गई		
	निवेश के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान		
	संदेहास्पद कर्जों/अग्रिमों/टीडीएस/बैंकों के लिए प्रावधान		
	विदेशी मुद्रा के परिवर्तन पर विनिमय अंतर का प्रभाव		
	नकदी और नकदी समतुल्य		
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ		
	इनवेंटरी में कमी/वद्धि	12,333,175	(8,154,936)
	जारी कार्य में कमी/वद्धि	(2,669,270,973)	(9,543,719,437)
	फुटकर कर्जदारों में कमी/वद्धि	(927,894,650)	13,335,298
	लियन के अधीन एफडी में कमी/वद्धि	(158,041,556)	64,892,385
	सावधि जमा पर संचित ब्याज को छोडकर अन्य परिसंपत्तियों में कमी/वद्धि		
	ऋण और अग्रिमें में कमी/वद्धि	2,665,317,930	6,070,044,058
	चालू देनदारियों और प्रावधानों में कमी/वद्धि	617,406,818	4,090,563,793
	प्रचालन से सृजित राजस्व		
	भुगतान किया गया आय कर	(129,440,795)	(30,976,697)
	प्रचालन संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह		
ख.	**निवेश संबंधी कार्यकलापों से निवल नकदी**		
	स्थाई परिसंपत्तियों में की खरीद/निमार्ण	(11,303,046)	(7,294,394)
	परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि	261,175	585,412
	शेयरों में निवेश		
	बॉण्डों में निवेश		
	संयुक्त उद्यम कंपनी को ऋण		

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

	ब्याज से होने वाली आय	161,058,884	99,192,500
	अंतर–निगमित जमा राशियों पर ब्याज		
	निवेश से होने वाली आय		
	निवेश गतिविधियों से होने वाली निवल नकदी		
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	भुगतान किया गया लाभांश	(70,845,376)	(70,845,376)
	भुगतान किया गया लाभांश कर	.	(11,766,530)
	वित्तपोषण गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		
	विदेशी मुद्रा के परिवर्तन पर विनिमय अंतर का प्रभाव		
	नकदी और नकदी समतुल्य		
	नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निवल कमी/वृद्धि	(366,056,357)	793,480,904
	वर्ष की शुरूआत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	2,823,189,327	2,029,708,423
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	2,457,132,970	2,823,189,327
	नकदी और नकदी समतुल्य राशियों का पुनर्मिलान		
	हाथ में मौजूद नकदी – (नोट संख्या 2.18 देखें)	110,998	86,720
	हाथ में मौजूद चैक – (नोट संख्या 2.18 देखें)	335,290,000	.
	चालू खातों में बैंक में जमा राशियां – (नोट संख्या 2.18 देखें)	250,347,329	162,641,067
	अन्य बैंकों के साथ सवधिं जमा राशियां – (नोट संख्या 2.18 देखें)	1,871,384,643	2,660,461,540
	नकदी और नकदी समतुल्य	2,457,132,970	2,823,189,327
	जोड़ें : प्लैज किए गए –जमा खातों में बकाया राशियां	361,444,185	203,402,629
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य राशियां	**2,818,577,155**	**3,026,591,956**

नोट : नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में सावधि जमा, संचित ब्याज और लियन/मार्जिन के अंतर्गत सावधि जमा राशियों को छोड़ेकर तरल निवेश सहित नकदी और बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं।

(कुंमुदनी शर्मा)		(ए. के. गुप्ता)	(ए. के. वर्मा)	(एस पी एस बक्शी)
कंपनी सचिव		महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह नकदी प्रवाह विवरण हमारी समसंख्यक तारीख में संदर्भित तुलन पत्र है!

कृते सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 012018एन

सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता संख्याः 072783

नोट संख्या–1

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण का आधार

(क) वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उप–धारा (1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई कंपनियां (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 में निर्धारित लेखाकरण मानकों और कंपनी अधिनियम, 1956 (जिसे यहां ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित किया गया है) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(ख) सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI में निर्धारित किए गए मापदंडों के अनुसार चालू और गैर–चालू रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रचालन की प्रकृति और परिसंपत्तियों को नकदी अथवा नकदी समतुल्य के रूप में स्वीकार किए जाने में लगने वाले संभावित समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर–चालू रूपों में वर्गीकरण के उद्देश्य से इनका प्रचालन चक्र 12 माह निर्धारित किया है।

2. अनुमानों का प्रयोग

सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को इस प्रकार के अनुमान और परिकल्पनाएं तैयार करने की आवश्यकता है जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियां की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों, यदि कोई हैं, के प्रकटन और रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रचालनों के परिणामों को प्रभावित करती हों। यद्यपि ये अनुमान वर्तमान गतिविधियों और कार्रवाइयों के बारे में प्रबंधन के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किए गए हैं, परंतु वास्तविक परिणाम उन अनुमानों और संशोधनों यदि कोई हैं, से भिन्न हो सकते हैं जिन्हें वर्तमान और आगामी अवधि में स्वीकार किया जाएगा।

3. राजस्व की वसूली/मान्यता प्रदान करना

(क) किया जा चुका कार्य

(i) वर्ष के लिए किए गए कार्य की गणना प्रारंभिक जारी कार्य में से प्रत्येक संविदा के लिए संचित जारी कार्य को घटाकर की जाती है। ऐसे मामलों, जहां दावे के समय उचित सुनिश्चित्ता के साथ अभिष्ट संग्रहण में कमी रहती है, में मान्यता को तब तक के लिए रोक अथवा आगे बढ़ा दिया जाता है जब तक कि संग्रहण पूरा नहीं कर लिया जाता है।

(ii) जारी कार्य का मूल्यांकनः

विविध आय पर विचार किए बिना वर्ष के अंत तक आने वाली संचित वास्तविक लागतों को लेते हुए ''पूर्ण करने की पद्धति के प्रतिशत'' के आधार पर आवंटित प्रत्येक वर्ष के अंत में संशोधित संविदा लागत पर आध ाारित आनुपातिक अनुमानित लाभ को जोड़कर किया जाता है।

(iii) वर्ष के अंत में निष्पादित कार्य परन्तु उसका मापन नहीं किया गया आंशिक रूप से निष्पादित कार्य की गणना इंजीनियरों के अभिप्रमाणन के आधार पर की जाती है।

(iv) निर्धारित समय से पहले समाप्त/निलंबित की जानी वाली परियोजनाओं के मामले में राजस्व की स्वीकृति केवल संविदा के उस मूल्य की सीमा के भीतर किया जाता है जिसकी वसूली किए जाने की संभावना होती है।

(v) परामर्श सेवाओं से अर्जित किए जाने वाले राजस्व की गणना आनुपातिक पद्धति के आधार पर की जाती है। ऐसे मामलों, में जहां दावे के समय उचित निश्चित्ता के साथ अधिकतम वसूली कम होती है, में इसकी गणना को वसूली पूर्ण किए जाने तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है।

(vi) ऐसी संविदाएं, जहां संविदा राजस्व संविदा लागत से अधिक हो जाता है, के मामले में संभावित हानि की वसूली तत्काल की जाती है।

(ख) ग्राहक के साथ संविदा में मुद्रास्फीति और अतिरिक्त कार्य के संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है और बीमा दावों की गणना नकदी आधार पर की जाती है।

(ग) विवादग्रस्त/मोल–भाव जारी होने की स्थिति और भुगतान की दृष्टि से अयोग्य/ प्राप्त न की जाने वाली संविदाओं के संदर्भ में संविदागत बाध्यताओं से उत्पन्न होने वाली परिसमापन क्षति की गणना अंतिम निपटान तक नहीं की जाती है।

(घ) ब्याज से होने वाली आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समयानुपात आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(ड.) किराए से अर्जित राजस्व के अभिष्ट संग्रहण को संदेहास्पद माने जाने की स्थिति को छोड़कर किराएदारों के साथ किए गए पट्टा करारों पर आधारित संचित आधार पर उसे स्वीकार किया जाता है।

4. इनवेंटरी

(क) स्टील, सीमेंट और पाइपों को छोड़कर निर्माण सामग्री, खपत योग्य मदें और भण्डार तथा कल–पुर्जो का प्रभार खरीद के समय संविदा लागत में जोड़ा जाता है। ऐसी बकाया सामग्री के निपटान पर बिक्री संबंधी आवतियों (सेल प्रोसीड) की गणना बिक्री वर्ष में होने वाली विविध आय में की जाती है।

(ख) स्टील, सीमेंट और पाइपों का मूल्यांकन लागत से निम्नतर अथवा निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर किया जाता है। लागत में मालभाड़ा और अन्य संगत अनुशंगी व्यय शामिल हैं और इसकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

5. अंतिम बिलिंग, स्थापना प्रमाण–पत्र, वाणिज्यिक, व्यवहार्यता, मोचन–निषेध (फोरक्लोजर) और/अथवा निलंबन, जो भी पहले हो की स्थिति में लेखाकरण उद्देश्यों के लिए संविदा को बन्द माना जाता है।

प्रत्येक संविदा की समाप्ति तक ''ग्राहक को बिलों के तहत भुगतान की गई राशि'' का संचित मूल्य ''अन्य चालू देनदारियों'' के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और किए गए कार्य की संचित मात्रा को इनवेंटरी के अन्तर्गत ''कार्य जारी है'' के रूप में दर्शाया जाता है।

किसी संविदा के बंद किए जाने/मोचन–निषेध/निलंबन पर ''ग्राहक को बिलों के भुगतान की राशि'' को ''कार्य प्रगति पर है'' के मूल्य विरुद्ध बट्टेखाते में डाल दिया जाता है।

6. विदेश विनिमय संबंधी लेनदेन

विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन और गैर धन संबंधी परिसंपत्तियों की गणना लेनदेन की तारीख को मौजूदा विनिमय दर के आधार पर की जाती है। विदेशी मुद्रा में दर्शाए गए धन संबंधी सभी आइटमों को वर्ष के अंत में मौजूदा विनिमय दर के आधार पर परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे परिवर्तन और लेनदेनों के निपटान पर आने वाले विभिन्न विनिमय अन्तरों को लाभ और हानि लेखों में दर्शाया जाता है।

7. निर्धारित (अचल) परिसंपत्तियां और मूल्यह्रास

(क) निर्धारित (अचल) परिसंपत्तियां (ग्रास ब्लॉक) को ऐतिहासिक लागत पर बताया गया है। लागत में खरीद मूल्य और इसके वांछित प्रयोग हेतु परसंपत्ति को कार्यशील स्थिति में लाने के लिए व्यय की जाने वाली लागत, यदि कोई है, शामिल होती है।

(ख) निर्धारित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रोरेटा आधार पर सीधी – रेखा पद्धति के अनुसार की जाती है और 95% लागत को परिसंपत्तियों की संभावित उपयोगिता अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। परियोजना साइटों पर निर्माण संबंधी उपस्कर और वाहनों का मूल्यह्रास तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के पश्चात् किया जाता है। अन्य अचल परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास प्रबंधन द्वारा अनुमानित दरों (जैसा कि नीचे 'ड.' में उल्लेख किया गया है) के आधार पर किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित संगत दरों से अधिक अथवा समतुल्य होती हैं।

(ग) ₹ 5,000 अथवा उससे कम लागत वाली निर्धारित परिसंपत्ति और मोबाइल फोन का पूरी तरह मूल्यह्रास खरीद वाले वर्ष में ही किया जाता है।

(घ) पट्टे पर लिए गए भवनों का परिशोधन पट्टा अवधि के पश्चात् अथवा कंपनी द्वारा अपनाई गई दरों के अनुसार परिकलित विनिर्दिष्ट अवधि जो भी कम हो, के पश्चात् किया जाता है। परपैचुअल पट्टे पर ली गई पट्टाधारकभूमि (चिरस्थाई) का ऋणमोचन (एमॉरटाइजेशन) नहीं किया जा रहा है और इसका मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

(ड.) मूल्यह्रास पर निम्नलिखित दरों को सीधी–रेखा पद्धति के आधार पर अपनाया गया है और इन्हें कई वर्षों से नियमित रूप से अमल में लाया जा रहा है:

भवन	1.68%
अस्थाई निर्माण	100.00%
निर्माण कार्य संबंधी उपस्कर	19.00%
फर्नीचर और फिक्सचर	6.33%
कार्यालय उपस्कर	11.88%
साफ्टवेयर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन और कंप्यूटर	47.50%
मोबाइल फोन	100.00%
वाहन	19.00%

मूल्यह्रास की दरें परिसंपत्तियों की संभावित उपयोगिता अवधि को दर्शाती हैं।

8. कर्मचारियों को होने वाले लाभ

कर्मचारी लाभों के संबंध में व्यय एवं देनदारियों को लेखाकरण मानक–15 कंपनियों के कर्मचारी लाभ (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार रिकार्ड किया जाता है।

(क) भविष्य निधि

कंपनी के अंशदान को पात्र कर्मचारियों के वेतन के एक निर्धारित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य से स्थापित किए गए अलग–अलग न्यासों में जमा किया जाता है और उसे लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है। सरकार

द्वारा विनिर्धारित रिटर्न की न्यूनतम दर के आधार पर निधि संबंधी परिसंपत्तियो में आने वाली कमी, यदि कोई है, को कंपनी द्वारा दूर किया जाएगा और उसे लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाएगा। कंपनियां (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के संशोधित लेखाकरण मानक एएस–15 के कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन के संबंध में कंपनी द्वारा स्थापित की गई भविष्य निधि को तब तक के लिए परिभाषित लाभ के रूप में माना जाता है जब तक ब्याज में होने वाली कमी, यदि कोई है, को कंपनी द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी रोजगार पश्चात् दिया जाने वाला एक लाभ है और यह सुपरिभाषित लाभ योजना के रूप में होता है। ग्रेच्युटी के संदर्भ में तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारी तुलन पत्र की तारीख को सुपरिभाषित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के समतुल्य होती है जिसमें से योजनागत परिसंत्तियों के फेयर मूल्य को घटाया जाता है, इसके साथ–साथ इसमें अस्वीकृत बीमा संबंधी लाभों अथवा हानियों और पिछली सेवा लागतों के लिए समायोजन शामिल होते हैं। सुपरिभाषित लाभ बाध्यता का अनुमान वार्षिक आधार पर संभावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए स्वतंत्र बीमांकित (ऐक्चुॲरी) द्वारा किया जाता है।

पिछले अनुभव के आधार पर होने वाले धन संबंधी लाभ और हानियां तथा धन संबंधी अनुमानों में होने वाले परिवर्तनों को क्रेडिट किया जाता है अथवा उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है जिससे ऐसे लाभ अथवा हानियां संबंधित होती हैं।

(ग) प्रतिपूरक अनुपस्थिति

देय होने वाली अथवा तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त की जा सकने वाली प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के संदर्भ में देनदारी को भुगतान किए जाने के लिए आवश्यक अनुमानित राशि के बिना बट्टे वाले मूल्य अथवा कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभों के अनुमानित मूल्य के आधार पर स्वीकार किया जाता है। देय होने वाली अथवा तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद प्राप्त की जा सकने वाली प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के संदर्भ में देनदारी का अनुमान संभावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए किसी स्वतंत्र बीमांकित द्वारा किए गए धन संबंधी मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव के आधार पर वास्तविक लाभ और हानियां तथा वास्तविक अनुमानों में किए जाने वाले परिवर्तनों को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट अथवा प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष से वे लाभ अथवा हानियां संबंधित होती हैं।

(घ) अन्य अल्पकालिक लाभ

निष्पादन संबंधी पुरस्कारों सहित अन्य अल्पकालिक लाभों के संदर्भ में होने वाले व्यय की स्वीकृति उस अवधि के दौरान भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य राशि के आधार पर की जाती है जिसके दौरान कर्मचारी द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

9. उपबंध, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी भी उपबंध को मान्यता तब प्रदान की जाती है जब कंपनी की किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता मौजूद होती है और यह संभावना बरकरार होती है कि इस बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनो का बहिर्गमन आवश्यक होगा और जिसके संदर्भ में कोई विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकता है। उपबंधों पर डिस्काउंट उनके वर्तमान मूल्य के अनुरूप नहीं दिया जाता है और तुलन पत्र की तारीख को बाध्यता के समाधान के लिए आवश्यक सर्वश्रेष्ठ अनुमानों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। उपबंधों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और इनका समायोजन वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी पूरक देनदारी को तब तक नहीं

दर्शाया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभों वाले संसाधनों के बहिर्गमन की दूर–दूर तक कोई संभावना न हो। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो स्वीकार किया जाता है और न ही उजागर किया जाता है।

10. परिसंपत्तियों को होने वाली क्षति (इम्पेयरमेंट)

प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती हैं कि ऐसे कोई संकेत दिए गए हैं अथवा नहीं कि किसी परिसंपत्ति को क्षति हुई है अर्थात उसे इम्पेयर किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का कोई संकेत दिया जाता है तो कंपनी उस परिसंपत्ति की वसूल किए जाने योग्य लागत का अनुमान लगाती है। यदि परिसंपत्ति की वसूल किए जाने योग्य ऐसी राशि अथवा नकदी पैदा करने वाली यूनिट, जिससे वह परिसंपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि उसको संचालित करने में व्यय होने वाली राशि से कम हो, तो उसको संचालित करने वाली राशि को इससे वसूल की जाने वाली राशि के समतुल्य माना जाता है। इस प्रकार घटाई जाने वाली राशि को इम्पेयरमेंट/क्षति के रूप में माना जाता है तथा उसका उल्लेख लाभ और हानि लेखे में किया जाता है। यदि तुलन पत्र की तारीख को इस बात के संकेत दिए जाते हैं कि गत वर्ष मूल्यांकित की गई क्षति ज्यादा दिन तक मौजूद नहीं रहेगी तो वसूल किए जाने योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। परिसंपत्ति को वसूल किए जाने योग्य राशि के मद में दर्शाया जाता है बशर्ते कि वह मूल्यह्रास युक्त अधिकतम ऐतिहासिक लागत के बराबर हो और तद्नुसार इसे लाभ और हानि लेखे में आरक्षित कर दिया जाता है।

11. कराधान (टैक्सेशन)

वर्ष के लिए कर संबंधी प्रावधान में संबंधित अवधि के लिए कर योग्य आय के संदर्भ में देय कर की राशि की तुलना में अधिक निर्धारित वर्तमान अनुमानित आयकर अथवा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के उपबंधों के अनुसार परिकलित खाताबही लाभ पर देय कर शामिल होता है। इसके अलावा इसमें कर योग्य और लेखाकरण आय के बीच अंतर का प्रतिनिधित्व करते हुए अस्थायी समय अंतरालों के कर प्रभावी होने के नाते ऐसा आस्थगित कर शामिल होता है बशर्ते कि लेखाकरण आय एक निश्चित अवधि में हो और आगामी एक अथवा अधिक अवधि में प्रतिलोम करने में सक्षम हो तथा इसकी गणना संगत घरेलू/स्थानीय कर विधियों के अनुसार की जाए।

आस्थगित कर का मापन/गणना तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों अथवा बाद में अधिनियमित विधियों के अनुसार निर्धारित कर दरों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली केवल उस सीमा तक की जाती है जहां इस बात की निश्चित संभावना हो कि भविष्य में भी पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी और उसके विरुद्ध ही आस्थगित कर संपत्तियों की वसूली की जा सकेगी। आगे ले जाई गई हानियों और अनामेलित मूल्यह्रास के संदर्भ में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली केवल उस सीमा तक की जाती है जहां इस बात की प्रबल संभावना हो कि भविष्य में इतनी कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की जा सके।

कर विधियों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में आगामी आर्थिक लाभों को बढ़ावा देता है, को एक परिसंपत्ति माना जाता है बशर्ते कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों कि कंपनी भविष्य में सामान्य कर अदा कर देगी। कंपनी इसकी समीक्षा हर वर्ष तैयार किए जाने वाले तुलन पत्र के रूप में करती है और एमएटी क्रेडिट पात्रता की राशि का निर्धारण उस सीमा तक करती है जहां इस आशय के पुख्ता साक्ष्य मौजूद नहीं है कि कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान उस क्रेडिट का सदुपयोग करने में सक्षम होगी।

12. पट्टे

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा भुगतान की वसूली संबंधित पट्टा अवधि के लाभ और हानि लेखे में व्यय के रूप में सीधी रेखा आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन (होने वाली आय)

प्रति शेयर आधारभूत आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को लाभ पहुंचाने वाली अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि (देय कर को घटाने के पश्चात) को उस अवधि के दौरान शेष बचे इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से घटाकर की जाती है।

प्रति शेयर डायल्यूट की गई आय की गणना के उद्देश्य से इक्विटी शेयरधारकों को लागू अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि तथा उक्त अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन डायल्यूट किए जा सकने वाले इक्विटी शेयरों की निर्धारित संख्या तक ही किया जाता है।

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में अनुसूचियां

नोट संख्या 2.1

शेयर पूंजी (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
प्राधिकृत				
प्रत्येक ₹ 10/– के इक्विटी शेयर	909,404,600	9,094,046,000	909,404,600	9,094,046,000
जारी, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त जारी; अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त				
प्रत्येक ₹ 10/– के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	35,422,688	354,226,880	35,422,688	354,226,880
जोड़		**354,226,880**		**354,226,880**

नोट संख्या 2.1 क

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान				
वर्ष के प्रारंभ में	35,422,688	354,226,880	9,094,400	354,226,880
जोंडें : वर्ष के दौरान जारी किए गए (शेयरों के अंकित मूल्य में परिवर्तन के कारण वृद्धि)	–	–	26,328,288	–
घटाएं: वापस लाए	–	–	–	–
वर्ष के अंत में	35,422,688	354,226,880	35,422,688	354,226,880

नोट संख्या 2.1 ख

विवरण	संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयरधारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास शेयरों की संख्या				
भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	35,415,677	99.98	35,415,677	99.98

नोट संख्या 2.1 ग

विवरण	संख्या	मूल्य	संख्या	मूल्य
बोनस शेयरों के रूप में जारी किए गए पूर्णतः प्रदत्त शेयरों की संख्या				
तुलन पत्र की तारीख के तुरंत बाद आगामी पांच वर्ष की अवधि के लिए	–			–

नोट संख्या 2.2

आरक्षित और अधिशेष

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
क. पूंजीगत आरक्षित निधियां वर्ष के प्रारंभ में	210,020	210,020
	210,020	210,020
ख. सामान्य आरक्षित निधियां वर्ष के प्रारंभ में	111,500,000	96,500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धि	20,000,000	15,000,000
	131,500,000	111,500,000
ग. लाभ और हानि विवरण में अधिशेष निधियां		
वर्ष के प्रारंभ में	1,139,033,193	1,085,864,713
जोड़ें : वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि	244,670,689	150,506,746
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश	70,845,376	70,845,376
घटाएं : लाभांश संवितरित कर	11,492,890	11,492,890
घटाएं : आरक्षित निधियों में स्थानांतरित राशि	20,000,000	15,000,000
अथशेष बकाया	1,281,365,616	1,139,033,193
जोड़	**1,413,075,636**	**1,250,743,213**

नोट संख्या 2.3

दीर्घ कालीन ऋण/उधारियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
जमा राशियां	–	–
संबंधित पक्षकारों से अग्रिम	–	–
अन्य ऋण और अग्रिम	–	–
जोड़	–	–

नोट संख्या 2.4

अन्य दीर्घकालीन उधारियां (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
व्यापारिक देय राशियां		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	–	–
अन्य	88,151,728	71,528,581
अन्य देनदारियां		
सुरक्षा जमा निधियां/देय ईएमडी	1,097,163,441	906,307,284
अन्य	8,147,950	56,298
जोड़	**1,193,463,119**	**977,892,163**

नोट संख्या 2.5

दीर्घकालीन प्रावधान (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
कर्मचारी लाभ	204,929,126	190,858,556
अन्य	–	–
जोड़	**204,929,126**	**190,858,556**

नोट संख्या 2.6

अल्प कालिक ऋण/उधारियां (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
जमा राशियां	–	–
संबंधित पक्षकारों से प्राप्त अग्रिम	–	–
अन्य ऋण और अग्रिम	–	–
जोड़	**–**	**–**

नोट संख्या 2–7

व्यापारिक देय राशियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
व्यापारिक देय राशियां		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	304,855	2,082,926
अन्य	2,366,365,446	2,241,589,391
जोड़	**2,366,670,301**	**2,243,672,317**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्गत शामिल निकायों को देय राशियों की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों और कंपनी के पास उपब्ध सूचना के आधार पर की गई है। वर्ष के दौरान किसी भी समय पहचान किए गए इन निकायों को 35 दिन से अधिक अवधि के लिए कोई भी राशि देय नहीं थी। ₹ 3,04,855/– की राशि मूल्य वृद्धि बिल से संबंधित है, जो संविदा के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् देय होगी।

नोट संख्या 2.8

अन्य चालू देनदारियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	2,864,519,073	2,880,621,081
सुरक्षा जमा राशि/जमानत धनराशि	520,281,715	713,494,854
बकाया देनदारियां	15,941,910	8,120,073
अन्य लोगों को देय राशियां	11,564,908,344	11,099,878,616
ग्राहकों को बिल की गई राशियां	39,037,959,731	35,624,314,368
कमचारियों को देय राशियां	30,131,282	28,205,066
सांविधिक देयताएं	102,083,642	71,227,740
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय ब्याज	432,462	136,414
जोड़	**54,136,258,159**	**50,425,998,212**

नोट संख्या 2.9

अल्प कालिक प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
कराधान	151,667,893	127,151,435
प्रस्तावित लाभांश	70,845,376	70,845,376
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश कर	22,985,780	11,492,890
कर्मचारी लाभ	36,679,776	70,540,049
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	2,849,626	836,630
जोड़	285,028,451	280,866,380

नोट संख्या 2.10

स्थाई परिसंपत्तियां

(राशि ₹ में)

		सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास/ऋणमोचन					निवल ब्लॉक	
	विवरण	01/04/2012 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान बिक्री/बट्टेखाते डाली गई	जोड़	01/04/2012 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्ष के दौरान बिक्री/बट्टेखाते डाली गई	जोड़	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
क.	**मूर्त परिसंपत्तियां**												
	फ्रीहोल्ड भूमि					–					–	–	–
	लीजहोल्ड भूमि	1,615,856				1,615,856					–	1,615,856	1,615,856
	फ्रीहोल्ड भवन	4,687,325	–	–	–	4,687,325	2,002,695	78,747	–	–	2,081,442	2,605,883	2,684,630
	लीजहोल्ड भवन	47,103,886	2,506,215	–	–	49,610,101	17,948,433	809,566	–	–	18,757,999	30,852,102	29,155,453
	कम्प्यूटर और अन्य उपकरण	29,716,606	4,732,669	374,822	422,961	34,401,135	25,733,144	3,205,371	57,934	397,056	28,599,393	5,801,742	3,983,462
	कार्यालय और अन्य उपकरण	15,074,459	984,201	11,400	717,291	15,352,769	11,463,043	1,100,984	(57,934)	686,163	11,819,929	3,532,840	3,611,417
	निर्माण उपकरण	45,778,456	42,906	–	3,662,686	42,158,677	43,493,019	6,687		3,479,551	40,020,154	2,138,522	2,285,437
	फर्नीचर और फिक्सचर्स	10,998,258	879,959	–	177,736	11,700,482	7,912,287	528,814	–	160,326	8,280,775	3,419,706	3,085,971
	वाहन	4,867,883	32,000	–	430,614	4,469,269	2,733,871	443,302		409,083	2,768,090	1,701,179	2,134,012
	उप जोड़	159,842,730	9,177,950	386,222	5,411,288	163,995,613	111,286,492	6,173,471	–	5,132,180	112,327,783	51,667,830	48,556,238
	जारी पूंजीगत कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	जोड़	159,842,730	9,177,950	386,222	5,411,288	163,995,613	111,286,492	6,173,471	–	5,132,180	112,327,783	51,667,829	48,556,239
ख.	**अमूर्त परिसंपत्तियां**												
	साफ्टवेयर – अधिग्रहीत किए गए	3,062,633	1,605,535	133,339	–	4,801,507	1,636,270	1,080,471	–	–	2,716,741	2,084,766	1,426,362
	उप जोड़	3,062,633	1,605,535	133,339	–	4,801,507	1,636,270	1,080,471	–	–	2,716,741	2,084,766	1,426,362
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	सकल जोड़	162,905, 363	10,783,485	519,561	5,411,288	168,797,121	112,922,763	7,253,942	–	5,132,180	115,044,524	53,752,595	49,982,601
	गत वर्ष	163,917,595	7,294,394	–	8,306,626	162,905,363	115,252,433	5,525,606	–	7,855,276	112,922,763	49,982,601	

नोट संख्या 2.11

गैर चालू निवेश

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
व्यापारिक निवेश	-	-
अन्य निवेश	-	-
जोड़	-	-

नोट संख्या 2.12

आस्थगित कर परिसंपत्तियां–निवल

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
स्थाई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	(8,039,174)	(7,659,632)
संदेहास्पद कर्ज, सुरक्षा जमा राशियों/ईएमडी, अग्रिम आदि के लिए मूल्यह्रास	50,598,559	48,726,498
कर्मचारियों के लाभार्थ प्रावधान	46,085,083	44,135,082
सामाजिक निगमित जिम्मेदारी के लिए प्रावधान	924,561	-
जोड़	**89,569,029**	**85,201,948**

नोट संख्या 2.13

दीर्घ कालीन ऋण और अग्रिम

(अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में असुरक्षित, सही माने गए) (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
बैंक गारंटी के विरूद्ध सुरक्षित कार्यों के लिए अग्रिम		331,421,266		430,887,676
सामग्री के विरूद्ध सुरक्षित कार्यों के लिए अग्रिम		11,372,946		11,372,946
अन्य अग्रिम	58,371,599		58,371,599	
घटाएं : संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	58,146,672	224,927	58,146,672	224,927
स्टॉफ अग्रिम*		6,965,003		8,279,267
अभिधारण धनराशि	905,606,129		1,257,791,302	
घटाएं : संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	38,294,206	867,311,923	39,395,706	1,218,395,596
सुरक्षा जमा राशि/ईएमडी	26,893,073		33,981,407	

घटाएं : संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	48,278	26,844,795	156,258	33,825,149
कार्य संविदा कर/वैट		22,774,046		21,607,609
अग्रिम बिक्री कर		37,033,294		21,094,480
आईटीडीएस		326,199,811		246,724,540
अग्रिम एफबीटी		4,158,315		8,333,450
अग्रिम सेवा कर		3,826,358		-
वसूली योग्य राशि–अन्य लोगों से	454,832,202		285,251,296	
घटाएं : संदेहास्पद वसूली के लिए प्रावधान	36,923,781	417,908,421	29,944,350	255,306,946
जोड़		**2,056,041,105**		**2,256,052,586**

* स्टॉफ अग्रिमों में अधिकारियों को दिए गए ₹ 1,167,185 की राशि के अग्रिम शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 1,576,430)

नोट संख्या 2.14

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

व्यापारिक प्राप्तियां

(असुरक्षित, सही मानी गई) **(राशि ₹ में)**

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
छः माह से कम अवधि के लिए बकाया कर्ज	-	-	-	-
छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया कर्ज	647,510,858		740,141,450	
घटाएं : संदेहास्पद कर्जों के लिए प्रावधान	22,538,855	624,972,003	22,538,855	717,602,595
जोड़		**624,972,003**		**717,602,595**

नोट संख्या 2.15

अन्य चालू देनदारियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
क) व्यापारिक (उद्धृत न किया गया) – लागत पर, दीर्घ कालीन निवेश (शेयरों में)	-	-
ख) व्यापारिक चालू निवेश – लागत पर,		-
जोड़	-	-

नोट संख्या 2.16

इनवेंटरी

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
सामग्री**				
जारी कार्य (निर्माण परियोजना)		5,949,623		18,282,798
जारी अधशेष कार्य	35,327,981,776		25,784,262,339	
जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया कार्य	8,813,393,883		11,035,508,345	
	44,141,375,659		36,819,770,684	
जोड़ें : पूर्वावधि समायोजन	-		1,653,820	
	44,141,375,659		36,821,424,504	
घटाएं : पूर्ण कर ली गई परियोजना	6,144,122,910	37,997,252,749	1,493,442,728	35,327,981,776
जोड़		**38,003,202,372**		**35,346,264,574**

** एसोसिएटों के पास रखी गई ₹ 5,057,047 की राशि की सामग्री शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 17,390,222)

नोट संख्या 2.17

व्यापारिक प्राप्तियां

(असुरक्षित, सही मानी गई) (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011
छः माह से कम अवधि के लिए बकाया कर्ज	1,187,964,623		595,382,533
छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया कर्ज	427,943,152	1,615,907,775	-
जोड़		**1,615,907,775**	**595,382,533**

नोट संख्या 2.18

नकदी और बैंक में जमा राशियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
क. नकदी और नकदी समतुल्य राशियां				
हाथ में मौजूद नकदी*	110,997		86,720	
हाथ में मौजूद चैक	335,290,000		-	
बैंकों में जमा राशियां				
–चालू खातों में जमा राशियां	250,347,330		162,641,067	
सावधि जमा राशियां (03 माह तक की परिपक्वता अवधि वाली)	455,000,000	1,040,748,327	1,217,781,476	1,380,509,263
ख. बैंकों जमा अन्य राशियां				
सावधि जमा राशियां (मार्जिन मनी/ईएमडी के विरूद्ध बंधक)		361,444,185		203,402,629
सावधि जमा राशियां (03 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली)		1,416,384,643		1,442,680,064
जोड़		**2,818,577,155**		**3,026,591,956**

* हाथ में मौजूद नकदी में पोस्टेज इम्प्रेस्ट की ₹ 673.00 (गत वर्ष ₹ 673.00) की राशि की सामग्री शामिल हैं

नोट संख्या 2.19

अल्प कालिक ऋण और अग्रिम

(अन्यथा उल्लेख न किए जाने की स्थिति में असुरक्षित, सही माने गए) (राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
सामग्री के विरूद्ध सुरक्षित कार्यों के लिए अग्रिम	557,570,626		145,783,405	
बीजी के विरूद्ध सुरक्षित कार्यों के लिए अग्रिम	510,987,114		404,023,416	
अन्य अग्रिम	1,002,116,252	2,070,673,992	936,049,840	1,485,856,661
स्टॉफ अग्रिम*		4,897,333		3,720,133
सुरक्षा जमा राशियां/ब्याना		517,341,109		313,119,787
न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट पात्रता		7,898,272		56,758,614
अन्य ऋण और अग्रिम				
– पूर्व में भुगतान किए गए व्यय		3,590,961		7,576,581
– अन्य अग्रिम		39,930		39,930
जोड़		**2,604,441,597**		**1,867,071,706**

* स्टॉफ अग्रिमों में अधिकारियों को दिए गए ₹ 409,545 की राशि के अग्रिम शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 298,156)

नोट संख्या 2.20

अन्य चालू परिसंपत्तियां

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
संचित ब्याज, परन्तु बैंक में जमा राशियों पर देय नहीं	91,162,729	25,665,861
अन्य लोगों से वसूल किया जाने वाला	11,996,025,312	11,754,441,361
जोड़	**12,087,188,041**	**11,780,107,222**

नोट संख्या 2.21

प्रचालन से प्राप्त राजस्व

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
किए गए कार्य का मूल्य	8,813,393,882	11,035,508,344
परामर्श प्रभार मूल्य	845,334	1,363,716
प्रचालन से प्राप्त राजस्व (प्राप्त दावे)	198,494,423	31,458,035
जोड़	**9,012,733,639**	**11,068,330,095**

नोट संख्या 2.22

अन्य आय

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012		2010 – 2011	
निम्नलिखित पर ब्याज से अर्जित आय				
बैंकों में जमा राशियां	226,555,751		103,543,512	
स्टॉफ अग्रिम	835,880		784,828	
अन्य (उप संविदाकारों/ग्राहकों से)	98,918,905	326,310,536	41,025,593	145,353,933
अन्य गैर–प्रचालन आय				
खर्च न की गई देयताएं/खाते में वापस डाली गई राशियां	14,126,108		27,469,998	
विविध आय	24,088,554	38,214,662	44,725,001	72,194,999
जोड़		**364,525,198**		**217,548,932**

नोट संख्या 2.23

परिचालन व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
आयातित उपस्करों सहित सिविल, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिक कार्य	8,035,484,460	10,283,770,987
डिजाइन और परामर्श प्रभार	49,400,107	22,387,372
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	71,346,287	92,472,154
भुगतान किए गए दावे	126,756,596	8,142,804
रॉयल्टी	404,447	293,434
परिसमापन क्षति	6,311,750	9,093,494
जोड़	**8,289,703,647**	**10,416,160,245**

नोट संख्या 2.24

जारी कार्य की इनवेंटरी में परिवर्तन

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
जारी कार्य	-	-
जोड़	-	-

नोट संख्या 2.25

कर्मचारियों के लाभार्थ व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
वेतन	327,048,635	294,797,408
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	37,791,225	46,976,695
चिकित्सा व्यय	33,308,281	30,681,419
राजभाषा व्यय	705,772	557,336
छुट्टी नकदीकरण	28,659,806	33,328,941
ग्रेच्युटी	7,209,592	40,312,381
स्टॉफ कल्याण व्यय	18,903,582	16,044,826
जोड़	**453,626,893**	**462,699,006**

नोट संख्या 2.26

वित्तपोषण संबंधी लागत

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
ब्याज–बैंक	1,398,545	194,559
ब्याज–अन्य	63,346,886	18,416,889
जोड़	**64,745,431**	**18,611,448**

नोट संख्या 2.27

अन्य व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	5,481,410	4,520,124
उपहार और दान/डोनेशन	-	3,997
दरें और कर	2,980,558	2,292,521
डाक और दूरसंचार	6,202,946	6,667,222
कार्यालय सुधार कार्य और रखरखाव	40,187,938	29,234,551
सुधार कार्य और रखरखाव (स्थाई परिसंपत्तियां)	649,977	458,683
भवन संबंधी सुधार कार्य	1,138,626	1,423,607
जल, विद्युत और ईंधन प्रभार	9,165,740	8,516,407
निविदा प्रक्रिया व्यय	3,826,730	3,191,033
विज्ञापन और प्रचार–प्रसार	3,396,840	3,530,241
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	23,533,775	16,645,223
बीमा	833,272	918,279
मनोरंजन	1,563,786	1,574,992
बैंक प्रभार	11,679,895	11,621,383
वाहन चालन और रखरखाव	2,345,180	3,321,559
जनशक्ति विकास	836,593	515,635
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री से हानि	84,371	255,514
प्रायोजन शुल्क	1,479,709	162,875
यात्रा और अन्य अनुषंगी व्यय	46,748,325	44,766,542

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी	4,515,000	2,000,000
अनुसंधान और विकास	400,000	-
लेखापरीक्षक का मेहनताना	1,202,705	1,116,950
व्यापार संबर्धन	1,804,397	1,397,610
किराया – कार्यालय का	4,403,530	4,394,822
कम्प्यूटर व्यय	3,183,187	3,072,421
सदस्यता और अंशदान शुल्क	758,382	852,853
फाईलिंग और पंजीकरण शुल्क	66,097	34,777
बट्टेखाते डाली गई राशियां	2,577,513	-
बट्टेखाते डाले गए संदेहास्पद अग्रिम	8,534,794	-
विविध व्यय	2,766,788	4,141,630
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	5,934,928	496,458
जोड़	**198,282,992**	**157,127,908**

यात्रा और अन्य अनुषंगी प्रभारों में स्थल छोड़ने संबंधी कठिनाई व्यय के मद में ₹ 8,274,705 (गत वर्ष ₹ 8,169,310) और निदेशकों की यात्रा संबंधी व्यय के मद में ₹ 1,574,517 (गत वर्ष ₹ 1,329,66) की राशि शामिल है।

लेखापरीक्षक का मेहनताना

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
लेखापरीक्षकों के रूप में	617,465	551,500
कर संबंधी लेखापरीक्षा के लिए	185,240	165,450
अन्य व्यय	400,000	400,000
जोड़	**1,202,705**	**1,116,950**

पूर्वावधि समायोजन (निवल)

(राशि ₹ में)

विवरण	2011 – 2012	2010 – 2011
कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	258,050	58,200
कर्मचारी लागत	421,748	2,65,146
अन्य	5,255,130	1,73,112
जोड़	**5,934,928**	**496,458**

नोट संख्या 2.28

आकस्मिक देनदारियां

आकस्मिक देनदारियां			31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (₹)	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार (₹)
1		कानूनी और माध्यस्थम के संदर्भ में		
	क	न्याय निर्णयन के लिए लंबित दावों, उन पर देय राशियों को जहां कहीं भी गणनीय अथवा उचित ढ़ंग निर्धारित पाया गया है, को शामिल किया गया है।	6,217,847,860	6,297,795,970
	ख	ऐसे मामलों, जहां कंपनी के पक्ष में अधिनिर्णय प्रकाशित कर दिए गए हैं, परन्तु वादी ने अपील कर दी है, के संदर्भ में	203,300,000	कुछ नहीं
2		ग्राहकों को जारी किए गए क्षतिपूर्ति बॉडों के संदर्भ में	861,373,158	360,256,189
3		विवाद/अपील के अंतर्गत पूर्ण किए गए मूल्यांकनों के संबंध में बिक्री कर/कार्य संविदा कर की मांग के संदर्भ में	37,359,535	46,844,733

नोट संख्या 2.29

''अग्रिम बिक्री कर'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई बिक्री कर प्राधिकारियों के पास जमा की गई ₹ 6,81,6,600 (गत वर्ष ₹ 8,027,655) की राशि संगत मूल्यांकन आदेश के अभाव में समायोजन न हो पाने के कारण लंबित है।

नोट संख्या 2.30

कंपनी ने स्कोप बिल्डिंग में अपने कुछ परिसरों को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (जो कि एक लोक उपक्रम है), को किराए पर दिया था। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने इस परिसर को फरवरी, 2002 में खाली किया और ₹ 4,605,400 रुपए (गत वर्ष ₹ 4,605,400) की राशि के कुछ फर्नीचर और फिक्सचर्स वहां छोड़ दिए। इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि छोड़े गए फर्नीचर और फिक्सचर्स की लागत का भुगतान आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित कीमत के अनुसार किया जाएगा। लोक उपक्रम ने किराए के रूप में देय ₹ 4,913,684 (गत वर्ष ₹ 4,913,684) की राशि अपने पास रोक कर रखी थी जिसके विरुद्ध कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है। मुद्दे के लंबित समाधान, पूंजीकरण और परिणामी मूल्यह्रास को लेखाओं में रिकॉर्ड नहीं किया गया है।

नोट संख्या 2.31

(क) विदेशी मुद्रा में व्यय

क्र. सं.	विवरण	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार (₹)	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार (₹)
1	विदेश यात्रा	705,575	618,186
2	विज्ञापन एवं प्रचार–प्रसार	–	19,211

नोट संख्या 2.32

(क) स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली स्थित भवन के संदर्भ में ₹ 37,441,925 (गत वर्ष ₹ 37,441,925) की लागत पर निर्धारित परिसंपत्तियों सहित वाहन/यात्रा विलेख (कंवेन्स डीड) कंपनी के नाम पर क्रियान्वित करने के लिए लंबित है। वाहन/यात्रा विलेख के क्रियान्वयन के संबंध में देनदारी, यदि कोई है, को इसके पंजीकरण वर्ष में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) कंपनी ने ₹ 141,615,685 (गत वर्ष ₹ 147,201,303) की राशि वाले एफडीआर के विरूद्ध बैंक से गैर निधि आधारित क्रेडिट लिमिट की सुविधा का उपभोग किया है तथा स्कोप कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली स्थित कार्यालय भवन को समान रूप से बंधक बनाने से ₹ 37,441,925 (गत वर्ष ₹ 37,441,925) का लाभ उठाया है।

(ग) कंपनी ने ₹ 320,000,000 (गत वर्ष ₹ 40,000,000) की सावधि जमा राशि के विरूद्ध पूर्ववर्ती बैंकों से ₹ 320,000,000 (गत वर्ष ₹ 90,000,000) की निधि आधारित क्रेडिट लिमिट प्राप्त की है।

(घ) कंपनी ने ग्राहकों/अन्य लोगों के पास जमानत राशि के रूप में/सुरक्षा निधि के रूप में ₹ 41,444,185 (गत वर्ष ₹ 21,786,944) की सावधि जमा राशि धरोहर के रूप में रखी है।

नोट संख्या 2.33

कंपनी निर्माण कार्यकलापों का कारोबार कर रही है, जो कंपनियां (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के ''खण्ड रिपोर्टिंग'' विषयक लेखाकरण मानक 17 के अनुसार केवल रिपोर्ट किए जाने योग्य व्यापार खण्ड माना जाता है। वर्तमान में कंपनी भारत में अपना कारोबार कर रही है जिसे एकल भौगोलीय खण्ड माना जाता है।

नोट संख्या 2.34

कंपनियां (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के लेखाकरण मानक 7 ''निर्माण कार्य संबंधी संविदाएं'' की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रकटीकरण

क्र. सं.	विवरण	(राशि ₹ में)	
		31.03.2012 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार
1	प्रचालन से प्राप्त राजस्व	9,012,733,639	11,035,508,344
2	रिपोर्ट किए जाने वाली तारीख तक व्यय की गई संविदा लागतें और वसूल किया गया लाभ	37,997,252,748	35,327,981,776
3	प्राप्त किए गए अग्रिम	2,864,519,073	2,880,621,081
4	संविदा कार्य के लिए उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाली सकल राशि – किसी परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत की गई	39,586,871	507,837,093
5	संविदा कार्य के लिए उपभोक्ताओं को देय सकल राशि – किसी देनदारी के रूप में प्रस्तुत की गई	1,080,293,854	804,169,685
6	देय प्रतिधारण धनराशि	1,552,459,968	1,566,691,520

नोट संख्या 2.35

कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ

कंपनी ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न लाभों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया है:

(क) भविष्यनिधि में जमा किया किए गए अंशदान ₹ 30,738,675 (गत वर्ष ₹ 34,525,488) को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। इसके अलावा संगत वर्ष के लिए निधि में ₹ 6,982,020 (गत वर्ष में ₹ 12,451,206) के ब्याज की कमी हुई है जिसे लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

(ख) कंपनी ने वास्तविक आधार पर ग्रेच्युटी, दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति पश्चात् मिलने वाले चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत और दीर्घकालीन सेवा पुरस्कारों के लिए भी प्रावधान किए हैं।

(क) परिभाषित लाभबाध्यता में परिवर्तन (2011–12)

(राशि ₹ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
1 अप्रैल, 2011 को परिभाषित लाभ संबंधी बाध्यता	163,213,963	140,570,563	5,543,555	70,532,735	4,439,371
वर्तमान सेवा लागत	7,285,907	8,624,049	378,858	1,379,404	2,460,068
ब्याज लागत	13,873,187	11,948,498	471,202	5,995,282	377,347
पिछली सेवा लागत	–	–	–	–	–
समाधान लागत/भुगतान किए गए (क्रेडिट) लाभ	(21,701,190)	(23,232,340)	(765,296)	(6,501,826)	(2,568,993)
बाध्यताओं पर धन संबंधी (लाभ/हानि)	(1,044,984)	8,087,259	1,831,415	4,882,221	(54,162)
31 मार्च, 2012 को परिभाषित लाभ संबंधी बाध्यता	161,626,883	145,998,029	7,459,734	76,287,816	4,653,731

(क) परिभाषित लाभ बाध्यता में परिवर्तन (2010–11)

(राशि ₹ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
1 अप्रैल, 2010 को परिभाषित लाभ संबंधी बाध्यता	155,298,094	139,577,629	4,691,690	65,741,099	4,521,959
वर्तमान सेवा लागत	7,014,930	7,170,243	156,222	1,358,183	2,276,487

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
ब्याज लागत	13,200,338	11,864,098	398,794	5,587,993	384,367
पिछली सेवा लागत	81,096,978	–	–	–	–
समाधान लागत/भुगतान किए गए (क्रेडिट) लाभ	(44,867,861)	(32,336,007)	(592,860)	(4,710,292)	(1,454,984)
बाध्यताओं पर धन संबंधी (लाभ/हानि)	(48,528,489)	14,294,600	889,709	2,555,752	(1,288,458)
31 मार्च, 2011 को परिभाषित लाभ संबंधी बाध्यता	163,213,963	140,570,563	5,543,555	70,532,735	4,439,371

(ख) ग्रेच्युटी के उचित मूल्य में परिवर्तन (योजनागत परिसंपत्तियां–वित्त पोषित योजना)

(राशि ₹ में)

विवरण	2011–12	2010–11
	(निधि युक्त)	(निधि युक्त)
1 अप्रैल, 2011 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	122,901,582	146,684,947
योजनागत परिसंपत्तियों का अपेक्षित वास्तविक लाभ	12,904,518	11,734,796
धन संबंधी लाभ/हानियां	1,351,769	736,553
अंशदान	40,312,381	8,613,147
भुगतान किए गए लाभ	(21,701,190)	(44,867,861)
31 मार्च, 2012 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	154,417,291	122,901,582

(ग) तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि (2011–12)

(राशि ₹ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
31 मार्च, 2012 को परिभाषित लाभसंबंधी बाध्यता	161,626,883	145,998,029	7,459,734	76,287,816	4,653,731
31 मार्च, 2012 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	154,417,291	–	–	–	–

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
किसी भी परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार्य न की गई राशि (पैरा 59 (ख) में दर्शाई गई सीमा)	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारी / परिसंपत्ति	161,626,883	145,998,029	7,459,734	76,287,816	4,653,731
वर्तमान देनदारियों और उपबंधों में शामिल	161,626,883	145,998,029	7,459,734	76,287,816	4,653,731

(ग) तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि (2010–11)

(राशि ₹ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
31 मार्च, 2011 को परिभाषित लाभ संबंधी बाध्यता	163,213,963	140,570,563	5,543,555	70,532,735	4,439,371
31 मार्च, 2011 को योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	122,901,582	–	–	–	–
किसी भी परिसंपत्ति के रूप में स्वीकार्य न की गई राशि (पैरा 59 (ख) में दर्शाई गई सीमा)	–	–	–	–	–
तुलन पत्र में दर्शाई गई देनदारी / परिसंपत्ति	163,213,963	140,570,563	5,543,555	70,532,735	4,439,371
वर्तमान देनदारियों और उपबंधों में शामिल	163,213,963	140,570,563	5,543,555	70,532,735	4,439,371

(घ) लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए स्वीकृत व्यय (2011–12)

(राशि ₹ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
वर्तमान सेवा लागत	7,285,907	8,624,049	378,858	1,379,404	2,460,068
पिछली सेवा लागत	–	–	–	–	–
ब्याज लागत	13,873,187	11,948,498	471,202	5,995,282	377,347
योजनागत परिसंपत्तियों पर वांछित लाभ	(11,552,749)	–	–	–	–
काट–छांट / समाधान लागत / (क्रेडिट)	–	–	–	–	–
अवधि के दौरान दर्शाया गया निवल धन संबंधी (लाभ) / हानि	(2,396,753)	8,087,259	1,831,415	4,882,221	(54,162)
लेखाकरण मानक–15 (संशोधित 2005) के पैरा 59 (ख) में उल्लेखित सीमा का प्रभाव	–	–	–	–	–
एक वर्ष में नवीकरणीय आवधिक सुनिश्चित प्रीमियम (ओवाईआरटीए)	–	–	–	–	–
लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए कुल व्यय	7,209,592	28,659,806	2,681,475	12,256,907	2,783,253

(घ) लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय (2010–11)

(राशि ₹ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
	(निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)	(गैर निधि युक्त)
वर्तमान सेवा लागत	7,014,903	7,170,243	156,222	1,358,183	2,276,487
पिछली सेवा लागत	81,096,978	–	–	–	–
ब्याज लागत	13,200,338	11,864,098	398,794	5,587,993	384,367

विवरण	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
योजनागत परिसंपत्तियों पर वांछित लाभ	(11,734,796)	–	–	–	–
काट–छांट / समाधान लागत / (क्रेडिट)	–	–	–	–	–
अवधि के दौरान दर्शाया गया निवल धन संबंधी (लाभ) / हानि	(49,265,042)	14,294,600	889,709	2,555,752	(1,288,458)
लेखाकरण मानक – 15 (संशोधित 2005) के पैरा 59 (ख) में उल्लेखित सीमा का प्रभाव	–	–	–	–	–
एक वर्ष में नवीकरणीय आवधिक सुनिश्चित् प्रीमियम (ओवाईआरटीए)	–	–	–	–	–
लाभ और हानि लेखा में दर्शाए गए कुल व्यय	40,312,381	33,328,941	1,444,725	9,501,928	1,372,396

कंपनी की कर्मचारी लाभ संबंधी देयता के निर्धारण हेतु निम्नलिखित वास्तविक अनुमानों का प्रयोग किया गया (2011–12)

	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
छूट की दर	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

कंपनी की कर्मचारी लाभ संबंधी देयता के निर्धारण हेतु निम्नलिखित वास्तविक अनुमानों का प्रयोग किया गया (2010–11)

	ग्रेच्युटी	दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थिति	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
छूट की दर	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

नोट संख्या 2.36

पक्षकार (पार्टी) से संबंधित प्रकटीकरण:

कंपनियां (लेखाकरण मानक) नियमावली, 2006 के लेखाकरण मानक – 18 ''संबंधित पक्षकार प्रकटन'' के अनुसार लेनदेन की एकीकृत राशि सहित संबंधित पार्टियों के नाम और प्रबंधन द्वारा पहचान और प्रमाणित किए अनुसार वर्ष के अंत में उनके पास बकाया राशियां निम्नानुसार हैं:–

(i) वर्ष के दौरान प्रबंधन से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण कार्मिक जिनके साथ लेनदेन किए गए:
श्री एस.पी.एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री ए के वर्मा, निदेशक (वित्त)
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) (2 जनवरी, 2012 से)
श्री ए.के. रतवानी, निदेशक (परियोजनाएं) (31 अगस्त, 2011 तक)
डॉ के. एस. राव, निदेशक

(ii) व्यापार के सामन्य क्रम में संबंधित पक्षकारों (पार्टियों) के साथ निम्नलिखित लेनदेन किए गए:

	(राशि ₹ में)	
	2012	2011
वेतन	3,905,992	5,052,253
मकान किराया	1,386,101	1,080,076
चिकित्सा व्यय	170,494	205,300
भविष्य निधि में अंशदान	416,346	493,141
सिटिंग फीस	87,500	22,000

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को ₹ 780/₹ 520/₹ 490/₹ 325 के भुगतान पर प्रति माह 1,000 किमी. तक की गैर–ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी की कार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान भी कंपनी के नियमानुसार देय है।

नोट संख्या 2.37

31 मार्च, 2011 को निर्माण सामग्री के स्टॉक संबंधी मात्रात्मक विवरण निम्नानुसार हैं:–

(राशि ₹ में)

	31 मार्च, 2012		31 मार्च, 2012	
	मात्रा	मूल्य (₹)	मात्रा	मूल्य (₹)
स्टील पाइप	352.85 आरएम	892,576	352.85 आरएम	892,576
स्टील	139.178 एमटी	5,057,047	530.902 एमटी	17,390,222

नोट संख्या 2.38

वर्ष के लिए रद्द किए जाने योग्य प्रचालन पट्टों के तहत पट्टा किराया व्यय की राशि ₹ 4,403,530 (गत वर्ष ₹ 4,394,822) को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

नोट संख्या 2.39

सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित किए अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आने वाले निकायों को देय राशि को इन निकायों से प्राप्त होने वाली पुष्टि के आधार पर चिह्नित किया गया है और इसकी सूचना कंपनी के पास उपलब्ध है। वित्तीय विवरणों की अनुसूची 2.7 में दर्शाई गई राशियों को छोड़कर वर्ष के दौरान किसी भी समय इन चिह्नित किए गए निकायों को देय कोई भी राशि 45 दिनों से अधिक समय के लिए देय नहीं थी।

नोट संख्या 2.40

यहां कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग–।। के पैरा 4–ग और पैरा 4–घ के अनुसार प्रकट किए जाने वाले कोई भी अन्य आइटम मौजूद नहीं हैं।

नोट संख्या 2.41

कंपनी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के दिनांक 10 जून, 2010 के पत्र संख्या एफ, 16(1)/2010 टीएसडब्ल्यू के तहत जारी किए गए निदेशानुसार अपनी इक्विटी के विनिवेश की प्रक्रिया को पूरा कर रही है। विनिवेश लंबित होने के कारण कंपनी ने निम्नलिखित कार्रवाई पहले ही कर ली गई हैं :

(1) ईपीआई को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित करने के लिए कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन;

(2) ₹ 38.95/– के वर्तमान मूल्य के प्रत्येक शेयर को ₹ 10/– मूल्यवर्ग के प्रत्येक शेयर के रूप में विभाजन (जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीकरण की एक पूर्वअर्हक शर्त है);

(3) कंपनी के इक्विटी शेयरों को डिमटेरियालाइज करना क्योंकि वर्तमान में वे भौतिक रूप में हैं; और

(4) ईपीआई के शेयरों का बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से ईपीआई की आकस्मिक देनदारियों को कम करना।

नोट संख्या 2.42

प्रावधानों में संचलन (चालू और गैर–चालू)

(राशि ₹ में)

विवरण	अथशेष बकाया	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए	वापस बट्टे खाते लिखे गए प्रावधान	अथशेष बकाया
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (ii + iii – iv – v)
कराधान	1200.20	1250.41	969.59	–	1481.02
लाभांश	708.45	708.45	708.45	–	708.45
लाभांश कर	114.93	114.93	–	–	229.86
फ्रिंज लाभ कर	71.31	–	35.66	–	35.65
सीएसआर	8.37	28.50	8.37	–	28.50

विवरण	अथशेष बकाया	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	वर्ष के दौरान भुगतान किए गए	वापस बट्टे खाते लिखे गए प्रावधान	अथशेष बकाया
परियोजना आकस्मिकताएं	1501.82	85.35	–	27.65	1559.52
कर्मचारी लाभ	2613.99	437.55	635.45	–	2416.09
जोड़	**6219.07**	**2625.19**	**2357.52**	**27.65**	**6459.09**
गत वर्ष	**5422.60**	**2403.77**	**1604.93**	**2.37**	**6219.07**

नोट संख्या 2.43

प्रबंधन ने मूल्यांकन किया है और पाया है कि स्थाई परिसंपत्तियों के मूल्य में किसी भी प्रकार की कोई गिरावट/कमी नहीं आई है।

नोट संख्या 2.44

आधारभूत और मिश्रित प्रति शेयर अर्जन की गणना कर पश्चात निवल लाभ ₹ 244,670,690 (गत वर्ष ₹ 150,506,748) को प्रत्येक ₹ 10 के 35,422,688 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों से भाग देकर की जाती है।

	2011–12	2010–11
आधारभूत और मिश्रित प्रति शेयर अर्जन (₹)	6.91	4.25

नोट संख्या 2.45

31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अनुसार तैयार किए जाते हैं। तद्नुसार वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के साथ एकरूपता बनाने के लिए गत वर्ष के आंकडों को भी पुनः वर्गीकृत किया गया है। गत वर्ष के आंकडों के लिए संशोधित अनुसूची को अपनाए जाने से वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए मान्यता और मापन सिद्धांत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

निदेशक बोर्ड के लिए और की ओर से

(कुंमुदनी शर्मा)	(ए. के. गुप्ता)	(ए. के. वर्मा)	(एस पी एस बक्शी)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह नकदी प्रवाह विवरण हमारी समसंख्यक तारीख में संदर्भित तुलन पत्र है!

कृते सत्येंद्र जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउण्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्याः 012018एन

सीए अनिल जैन
भागीदार
सदस्यता संख्याः 072783

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः11 सितंबर, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमेटड के लेखाओं के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.** के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों का यह दायित्व है कि वे अपने व्यावसायिक निकाय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा विहित लेखाकरण और आश्वासन मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करें। इसे 11 सितम्बर, 2012 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3)(ख) के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि.** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट के दौरान तैयार किए गए कागजातों (वर्किंग पेपर) की उपलब्धता के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से की गई पूछताछ और लेखाकरण रिकार्डों में से कुछ चुनिंदा रिकार्डो की जांच तक ही सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं आई है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट मे की गई किसी टिप्पणी के प्रतिकूल हो अथवा उसके पूरक के रूप में शामिल की जा सकती हो।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(इला सिंह)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 सितंबर, 2012

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि .
ENGINEERING PROJECTS (INDIA) LTD.

(A Government of India Enterprise)
Core-3, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110 003. Tel.: +91-11-24361666. Fax: +91-11-24363426

Website: www.epi.gov.in email: epico@epi.gov.in

Power Transmission

Road Projects

Grain Silos

Water Treatment Plant

Incorporated in 1970, Engineering Projects (India) Ltd (EPI) is a Government of India enterprise under the aegis of Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises.

Since its inception, EPI has been committed to providing the best project management service through its dedicated and highly experienced team of personnel for a variety of multi-disciplinary projects. During the last 41 years, EPI has been engaged in the field of execution of large and multi-disciplinary industrial and construction projects on turnkey basis and project consultancy services in India and abroad. EPI's areas of operations are spread across the following projects:

- Civil and Infrastructure
- Water Supply and Environmental Engineering
- Material Handling
- Metallurgical
- Industrial and Process Plants
- Oil and Petrochemical

EPI has contributed immensely in the advancement of the nation and the company is presently focusing on high technology, consultancy and high value projects. The company is re-establishing its activities in the overseas market. EPI has also diversified in the following sectors:

- Mass Rapid Transit System
- Renewable Energy

EPI
Committed towards nation building

EPI is a uniquely integrated engineering company capable of undertaking projects from the concept to commissioning and performs the following:

- Feasibility Studies and Detailed Project Reports
- Design and Engineering
- Supply of Plant & Equipment
- Quality Assurance
- Project Construction
- Erection and Commissioning
- Operation and Maintenance
- Overall Project Management in almost all areas of engineering and construction domain

EPI's composition and character makes it ideally suited to take up execution of large and complex construction projects in a wide spectrum of industries. Most of EPI personnel have grown up with the organisation and have considerable experience. Its engineers possess vast knowledge and experience in various disciplines like civil, mechanical, electrical, chemical, instrumentation and other engineering disciplines.

Mass Rapid Transit System

HOUSING COMPLEX, SURYANAGAR, BANGALORE

Airports